उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(पूर्व नाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लि०)

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

पंचम वार्षिक लेखा प्रतिवेदन

2008 - 2009

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति भवन

14-अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

निदेशक मण्डल

(दिनाँक 31 मार्च, 2009)

अध्यक्ष

श्री नवनीत सहगल

प्रबन्ध निदेशक

श्री नरेन्द्र भूषण

निदेशक

श्री एस. के. अग्रवाल
श्री रमा रमन
श्री गणेश सिंह
श्री मन मोहन

कम्पनी सचिव

श्री एच॰के॰ अग्रवाल
(अंशकालिक)

वैधानिक सम्प्रेक्षक

मेसर्स आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

बैंकर्स :

भारतीय स्टेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ बैंक
इलाहाबाद बैंक

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति भवन
14-अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

विषय सूची

क्र॰ सं॰	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	1-6
2.	तुलन–पत्र	7
3.	लाभ–हानि खाता	8
4.	लेखीय अनुसूचियाँ	9 - 20
5.	महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ	21 - 23
6.	लेखों पर टिप्पणियाँ	24 - 28
7.	तुलनपत्र सार एवं कम्पनी के सामान्य कारोबार का पार्श्वदृश्य	29
8.	रोकड़ प्रवाह विवरण	30
9.	वैधानिक सम्प्रेक्षक का सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन	31 - 37
10.	वैधानिक सम्प्रेक्षा के प्रतिवेदन पर प्रबंधन का उत्तर	38 - 47
11.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखों पर टिप्पणियाँ	48 - 49
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर	50 - 51

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन निगम लिमिटेड

दिनांक 31.03.2009 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की कार्य निष्पादन रिपोर्ट तथा वर्ष के सम्प्रेक्षित लेखा विवरणों, सम्प्रेक्षकों का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा के साथ पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम :

समीक्षाधीन अवधि में कम्पनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :–

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31–03–2009 को समाप्त हुए वर्ष	31–03–2008 को समाप्त हुए वर्ष
आय :		
ऊर्जा के चक्रीय पारेषण से आय	758.17	680.22
अन्य आय	22.78	11.34
योग (अ)	**780.95**	**691.56**
व्यय :		
परिचालन व्यय :–		
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	64.12	66.53
कर्मचारी लागत	256.10	193.53
प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	7.03	9.92
योग (ब)	**327.25**	**269.98**
ह्रास, ब्याज एवं प्राविधानों के पूर्व परिचालकीय लाभ/(हानि) स = (अ–ब)	453.70	421.58
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	161.41	161.89
ह्रास	278.27	253.78
अशोध्य ऋण एवं प्राविधान	8.45	13.79
योग (द)	**448.13**	**429.46**
पूर्वावधि आय/(व्यय) एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)	5.57	(7.88)

जोड़ा पूर्वावधि आय/(व्यय)	(15.38)	6.53
प्रारम्भिक व्यय	0.01	0.01
कर के पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	**(9.80)**	**(14.42)**
फ्रिन्ज लाभ कर के लिए प्राविधान	0.32	0.32
कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	**(10.12)**	**(14.74)**

निदेशक मण्डल द्वारा कोष में ले जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि, यदि कोई हो :

इस तथ्य के परिपेक्ष्य में कि समीक्षाधीन वर्ष के अन्त तक कम्पनी में संचित हानियाँ हैं तथा विनियोजन हेतु कोई आधिक्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी कोष में अन्तरण हेतु कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं है।

लाभांशः

चूँकि समीक्षाधीन वर्ष में कम्पनी में बाँटने हेतु कोई लाभ उपलब्ध नहीं है इसलिए निदेशक मण्डल किसी लाभांश की संस्तुति नहीं कर सका।

परिचालन :

उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या ट्रान्सको अन्तरण योजना संख्या 2974 (i)/24–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के अनुसार कम्पनी दिनांक 01–04–2007 से ऊर्जा के पारेषण/चक्रीय पारेषण के कार्य में कार्यरत है।

भौतिक उपलब्धियाँ :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न पारेषण कार्य पूरे किये गये :–

(अ) लाइनें :

(i) 220 के.वी. लाइनें 64.4222 सर्किट कि.मी.

(ii) 132 के.वी. लाइनें 564.789 सर्किट कि.मी.

(ब) (i) उप–संस्थान :

वोल्टेज	(नये चालू उप संस्थान)		क्षमता वृद्धि	
	उप–संस्थानों की संख्या	क्षमता (एम.वी.ए.)	उप–संस्थानों की संख्या	क्षमता (एम.वी.ए.)
220 के.वी.	5	780	13	920
132 के.वी.	8	640	57	1258

(ब) (ii) 'बे' ऊर्जीकृत संख्या

1. 220 के.वी. 2
2. 132 के.वी. 10
3. 33 के.वी. 2

वित्तीय वर्ष के समापन पर जिससे यह तुलन पत्र सम्बन्धित है एवं प्रतिवेदन की तिथि के मध्य महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं, जिससे कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुयी हो।

वित्तीय वर्ष के समापन एवं इस प्रतिवेदन के दिनांक के मध्य प्रतिबद्धताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कम्पनी व्यवसाय, कम्पनी की सहायिकी या उनके द्वारा किये जा रहे व्यवसाय तथा सामान्यतः व्यवसाय की उन श्रेणियों में जिनमें कम्पनी का कोई हित लाभ है वित्तीय वर्ष में हुए परिवर्तनों का विवरण :

ऐसे कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं।

ऊर्जा संरक्षण/प्रौद्योगिकी आमेलन, एवं विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) सपठित कम्पनी (निदेशक मंडल के प्रतिवेदन में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के प्राविधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय सम्बधी सूचना सलंग्नकों में दी गयी है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

कर्मचारियों का विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अभिप्राय से पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गयी जिसका आहरित पारिश्रमिक प्रति वर्ष रु. 60 लाख (अथवा रु. 5 लाख प्रतिमाह) से अधिक था।

निदेशक मण्डल :

विचाराधीन वर्ष में निदेशक मण्डल का संरचनात्मक ढांचा निम्नानुसार रहा है :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यावधि (वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए)	
			नियुक्ति तिथि	सेवा निवृत्ति/समाप्ति तिथि
1	श्री जी.बी. पटनायक	अध्यक्ष	24–03–08	26–04–08
2	श्री प्रदीप शुक्ला	अध्यक्ष	26–04–08	30–12–08
3	श्री वी.एन. गर्ग	अध्यक्ष	31–12–08	06–01–09
4	श्री नवनीत सहगल	अध्यक्ष	07–01–09	कार्यरत
5	श्री ए.के. अवस्थी	प्रबन्ध निदेशक	24–03–08	06–01–09
6	श्री नरेन्द्र भूषण	प्रबन्ध निदेशक	16–03–09	कार्यरत
7	श्री एस.के. अग्रवाल	निदेशक	09–01–09	कार्यरत
8	श्री एच.सी. सिंह	निदेशक	14–08–07	08–01–09
9	श्री रमा रमन	निदेशक	22–09–08	कार्यरत
10	श्री गणेश सिंह	निदेशक	16–12–08	कार्यरत
11	श्री मन मोहन	निदेशक	28–03–09	कार्यरत

निदेशक मण्डल, कम्पनी के साथ निदेशकों के सम्बन्धों हेतु तथा उनके द्वारा की गयी बहुमूल्य सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व सम्बंधी विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) की आवश्यकता के अनुरूप यह पुष्टि की जाती है कि :–

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में, सिवाय जैसा कि लेखों से सम्बन्धित टिप्पणियों में स्पष्ट किया गया है, को छोड़कर, लागू लेखीय मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ii) सिवाय उन परिवर्तनों को छोड़कर जिनका उल्लेख अलग से किया गया है निदेशकों ने समुचित लेखीय नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा निर्णय एवं अनुमान करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि वे उचित एवं विवेक पूर्ण हों ताकि दिनांक 31 मार्च, 2009 को कम्पनी के क्रिया कलापों की स्थिति तथा कथित अवधि के लाभ एवं हानि की यथार्थ एवं उचित स्थिति दर्शायें।

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं धोखा–धड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु यथेष्ट लेखा–अभिलेखों के रख–रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है। अग्रेतर, अंशधारकों को यह सूचित करना है कि विभिन्न कमियाँ जो कि प्रबंधन द्वारा पायी गयीं तथा वे भी जो कि वैधानिक सम्प्रेक्षकों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इंगित की गयीं, उन्हें आने वाले वर्षो में लेखांकित किया जाएगा।

(iv) दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे संस्था के निरन्तर चलते रहने के आधार पर तैयार किये गये हैं।

सहायक कम्पनियाँ :

कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी नहीं है।

सम्प्रेक्षा समिति :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अनुसार निदेशक मण्डल ने इस तिथि को निम्न सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक सम्प्रेक्षा समिति का गठन किया है :–

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यू.पी.पी.टी.सी.एल.	अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (वित्त) उ.प्र. शासन एवं अंशकालिक निदेशक यू.पी.पी.टी.सी.एल.	सदस्य
महा प्रबन्धक (टी. एण्ड डी.), आर.ई.सी. एवं अंशकालिक निदेशक यू.पी.पी.टी.सी.एल.	सदस्य
निदेशक (वित्त) यू.पी.पी.टी.सी.एल.	प्रस्तुत कर्ता
कम्पनी सचिव	समन्वयक

सम्प्रेक्षा समिति ने विधिवत अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है।

सम्प्रेक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए मेसर्स आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को कम्पनी के वैधानिक सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। वैधानिक सम्प्रेक्षकों ने कम्पनी के दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों का सम्प्रेक्षण किया। सम्प्रेक्षकों का प्रतिवेदन एवं उनकी टिप्पणियों पर दिये गये उत्तर इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षाः

कम्पनी के दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अनुसरण में की गयी टिप्पणियाँ इस प्रतिवेदन में संलग्न हैं। टिप्पणियाँ एवं प्रबन्धन के उत्तर भी संलग्न हैं।

औद्योगिक सम्बंध :

समीक्षाधीन अवधि में आद्यौगिक सम्बंध शांन्तिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे।

आभार :

पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत उपयोगिताओं, पी.एफ.सी., आर.ई.सी., बैंकर्स एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से निरन्तर प्राप्त हुए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल वैधानिक सम्प्रेक्षक मेसर्स आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, विभिन्न शाखा सम्प्रेक्षकों एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भी उनके द्वारा दिये गये रचनात्मक सुझावों एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल कम्पनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कामगारों द्वारा की गयी सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करता है।

दिनांक :

स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

आलोक कुमार

प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक–1

कम्पनी (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अन्तर्गत प्रकटन

अ–ऊर्जा संरक्षण : **लागू नहीं**

(उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. ऐसी औद्योगिक इकाइयों की सूची से आवरित नहीं होता जिसके लिए अनुसूची में वांछित सूचना देना अनिवार्य हो)

ब–प्रौद्योगिकी आमेलन :

(अ) अनुसंधान एवं विकास (आर० एण्ड डी०)

वर्ष में आर० एण्ड डी० के अन्तर्गत कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ।

(ब) तकनीकी आमेलन, अनुकूलता एवं नवीनीकरणः

1. तकनीकी आमेलन, अनुकूलता एवं नवीनीकरण पद्धति के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का संक्षिप्त सार निम्नानुसार है :–

   उप संस्थानों को स्वचालित करने की प्रणाली (एस.ए.एस.) 220 के.वी. एवं 132 के.वी. उप संस्थानों को सरल प्रकृति का बनाना, जिसके लिए परिकल्पना एवं अभियांत्रिकी का अन्तिमीकरण किया गया और जिसे निविदा नमूना में समाविष्ट किया गया है।

2. **उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप निम्न लाभ प्राप्त हुए :**

   उपर्युक्त प्रणाली से अप्रत्यक्ष अनुश्रवण की सुविधा एवं उपसंस्थानों का नियंत्रण प्राप्त होने के साथ–साथ मानव शक्ति की आवश्यकता कम होगी।

3. **आयातित प्रौद्योगिकी :**

   विद्युत उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों में बहुलक विद्युत उष्मारोधी प्रणाली प्रारम्भ की गयी एवं यह पाया गया कि कोहरे की स्थिति में लाइन ट्रिपिंग में उल्लेखनीय कमी आई। विकसित देशों में यह प्रौद्योगिकी विश्वव्यापी रूप से प्रयोग की जा रही है।

(स) विदेशी विनिमय उर्पाजन एवं व्यय :

(i) विदेशी विनिमय उपार्जन : शून्य

(ii) विदेशी विनिमय व्यय : शून्य

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से
आलोक कुमार
प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष का तुलन–पत्र

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2009 को		31.03.2008 को	
निधियों के स्रोत					
अंशधारियों की निधियां					
अंश पूंजी	(1)	50000000		50000000	
अंश आवेदन धनराशि	(1A)	26368852000		22083352000	
आरक्षित कोष एवं आधिक्य	(2)	3221295402	29640147402	2833014422	24966366422
ऋण निधियां	(3)		23826055290		24661767511
योग			**53466202692**		**49628133933**
निधियों का प्रयोग					
स्थायी परिसम्पत्तियां					
सकल ब्लाक	(4)	64229313967		57862791847	
घटाया : संचित ह्रास		24765865731		21924810229	
शुद्ध ब्लाक		39463448236		35937981618	
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	(5)	9794572848	49258021084	7983578032	43921559650
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम					
भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जे	(6)	3487609261		2901734141	
विविध देनदार	(7)	3373854714		2183834910	
नकद एवं बैंक अवशेष	(8)	247308658		511160219	
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	(9)	94399784		76392439	
ऋण एवं अग्रिम	(10)	405475429		260346631	
अन्तर इकाई हस्तांतरण		143308416		481926724	
		7751956262		6415395064	
घटाया : चालू दायित्व एवं प्राविधान	(11)	13555849363		10619676838	
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां			-5803893101		-4204281774
अपलिखित अथवा					
समायोजित न की गयी सीमा तक विविध व्यय					
प्रारम्भिक व्यय			0		74600
लाभ एवं हानि खाता (डेबिट अवशेष)			10012074709		9910781457
महत्वपूर्ण लेखीय नीतियां एवं					
लेखों पर टिप्पणियां	(21)				
अनुसूची 1 से 21 लेखों का अभिन्न अंग हैं					
योग			**53466202692**		**49628133933**

एच॰के॰ अग्रवाल	पी॰एन॰ सेठ	आर॰पी॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 07–09–2012

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार
स॰सं॰ 071448

31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
आय			
विद्युत के चक्रीय प्रभारों एवं सम्बंन्धित क्रिया कलापों से आय	(12)	7581735277	6802217751
अन्य आय	(13)	227787906	113391333
योग		**7809523183**	**6915609084**
व्यय			
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	(14)	641180002	665289915
कर्मचारी लागत	(15)	2561045939	1935255882
प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	(16)	70334502	99167040
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(17)	1614043584	1618861871
ह्रास	(18)	2782641137	2537851012
अशोध्य ऋण एवं प्राविधान	(19)	84515840	137945135
योग		**7753761004**	**6994370855**
पूर्वाविधि आय/व्यय एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)		55762179	(78761771)
पूर्वावधि आय/व्यय (शुद्ध)	(20)	(153768725)	(65331873)
अपलेखित प्रारम्भिक व्यय		74600	74600
कर के पूर्व लाभ/(हानि)		(98081146)	(144168244)
फ्रिन्ज बेनीफिट कर के लिए प्राविधान		3212106	3198530
कर के पश्चात लाभ/(हानि)		(101293252)	(147366774)
अग्रानीत गयी संचयी हानि		(9910781457)	(714207)
अन्तरण योजना के अनुसार (संचयी हानि)		0	(9762700476)
तुलन पत्र में अग्रेनीत हानि		(10012074709)	(9910781457)
प्रति अंश आय (ई.पी.एस.)			
गणक		(101293252)	(147366774)
भाजक		50000	50000
अंश का न्यूनतम मूल्य		Rs. 1000/- प्रत्येक	Rs. 1000/- प्रत्येक
मूल ई.पी.एस.		(2025.87)	(2947.34)
गणक		(101293252)	(147366774)
भाजक		24630519	20458762
अवमिश्रित ई.पी.एस.		(4.11)	(7.20)

महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ (21)
अनुसूचियाँ 1 से 21 लेखों का अभिन्न भाग हैं।

एच॰के॰ अग्रवाल	पी॰एन॰ सेठ	आर॰पी॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार
स॰सं॰ 071448

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 07–09–2012

अंशपूँजी

अनुसूची "1"
(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1. अधिकृत पूँजी		
प्रत्येक रु॰ 1000/–के 100000000 पूर्ण प्रदत्त समता अंश	100000000000	100000000000
2. निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
प्रत्येक रु॰ 1000/– के 50000 पूर्ण प्रदत्त समता अंश	50000000	50000000
योग	**50000000**	**50000000**

अंश आवेदन धनराशि

अनुसूची "1–अ"
(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1. अंश आवेदन धनराशि		
(आवंटन हेतु लम्बित)	26368852000	22083352000
योग	**26368852000**	**22083352000**

आरक्षित कोष एवं आधिक्य

अनुसूची "2"
(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2008 को	परिवर्धन	कमी	31.03.2009 को
पूँजीगत कोष				
(i) पूँजीगत कार्यों के लिए उपभोक्ताओं का अंशदान	1025783422	446966655	58685675	1414064402
(ii) पुनर्संरचना खाता	1807231000	0	0	1807231000
योग	**2833014422**	**446966655**	**58685675**	**3221295402**

एच॰के॰ अग्रवाल	पी॰एन॰ सेठ	आर॰पी॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

ऋण निधियां

अनुसूची "3"

(धनराशि रु॰ में)

	विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
(अ)	<u>संरक्षित ऋण</u>		
	<u>सावधि ऋण</u>		
	पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड		
	पी.एफ.सी. योजनाओं के अन्तर्गत लाइन एवं उप संस्थान के रेहन के सापेक्ष संरक्षित)	4518802482	5066048154
	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि॰ (आर॰ई॰सी॰ योजना के अन्तर्गत लाइन एवं उप संस्थान के रेहन पर संरक्षित)	63177000	0
(ब)	<u>असंरक्षित ऋण</u>		
	<u>सावधि ऋण</u>		
	(i) <u>उ.प्र. सरकार</u>	5256534516	5089817258
	(ii) <u>वित्तीय संस्थाएं</u>		
	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि॰ (उ.प्र.सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)	7048080443	6621467747
	पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड (उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)	5062363609	4659970352
	(ii) विविध संस्थायें		
	<u>नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड</u> (उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)	364775000	457200000
	हुडको (उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)	1512322240	2767264000
	सकल योग	**23826055290**	**24661767511**

एच॰के॰ अग्रवाल	**पी.एन॰ सेठ**	**आर॰पी॰ गुप्ता**	**एस॰के॰ अग्रवाल**	**ए॰के॰ गुप्ता**
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

अनुसूची-4

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	सकल ब्लाक				ह्रास				शुद्ध ब्लाक	
	31.03.2008 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	31.03.2009 को	31.3.2008 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	31.3.2009 को	31.3.2009 को	31.3.2008 को
भूमि एवं भूमि अधिकार पूर्ण अधिकार के अन्तर्गत										
भूमि स्वामित्व	248668317	7729780	0	256398097	0	0	0	0	256398097	248668317
पट्टे के अन्तर्गत भूमि स्वामित्व	532054	0	0	532054	0	0	0	0	532054	532054
भवन	1755111757	68071904	14844323	1808339338	656642961	54378940	93393	710928508	1097410830	1098468796
अन्य जानपदीय कार्य	383485424	23066182	4455646	402095960	144527017	6676663	0	151203680	250892280	238958407
संयत्र एवं मशीनरी	27352380128	5473213089	441855460	32383737757	9888791709	1407835376	165542419	11131084666	21252653091	17463588419
लाइनें, केबिल नेटवर्क आदि	27805504044	1184248967	5987565	28983765446	11088394817	1523242636	4218283	12607419170	16376346276	16717109227
वाहन	37001311	247163	1043075	36205399	16448290	3931598	708171	19671717	16533682	20553021
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10918030	424543	1406	11341167	3725001	699418	844	4423575	6917592	7193029
कार्यालय उपकरण	17025911	3054407	10000	20070318	5325555	2829273	0	8154828	11915490	11700356
अन्य परिसम्पतियाँ	252164871	74663560	0	326828431	120954879	12024708	0	132979587	193848844	131209992
सकल योग	**57862791847**	**6834719595**	**468197475**	**64229313967**	**21924810229**	**3011618612**	**170563110**	**24765865731**	**39463448236**	**35937981618**
पूर्व वर्ष	**0**	**58620875041**	**758083194**	**57862791847**	**0**	**22049409323**	**124599094**	**21924810229**	**35937981618**	**0**

एच॰के॰ अग्रवाल	पी॰एन॰ सेठ	आर॰पी॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

अनुसूची–5

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		**31.03.2009** को		**31.03.2008** को
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य*		5980048105		4462822705
पूंजीकरण हेतु लम्बित राजस्व व्यय**				
पूर्व वर्ष तक	412496000		0	
वर्ष के दौरान वृद्धि	510675000		412496000	
उप–योग	923171000		412496000	
घटाया : वर्ष के दौरान पूँजीकृत	412496000	510675000	0	412496000
उप योग (अ)		**6490723105**		**4875318705**
आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम		3350473292		3150621374
घटाया–पूंजीगत कार्यों के सापेक्ष संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्राविधान		46623549		42362047
उप योग (ब)		**3303849743**		**3108259327**
उप योग		**9794572848**		**7983578032**

टिप्पणी : *इसमें कार्य से सम्बन्धित अधिष्ठापन एवं प्रशासनिक व सामान्य लागत शामिल है।

**इसमें केवल कार्य से सम्बन्धित उधारी लागत शामिल है।

एच॰के॰ अग्रवाल	पी॰एन॰ सेठ	आर॰पी॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

भण्डार सामग्री एवं कल पुर्जे

अनुसूची–6

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2009 को		31.03.2008 को
भण्डार सामग्री–पूंजीगत कार्य	3260181876		2564697632	
भण्डार सामग्री–ओ. एण्ड एम.	580367815		682501437	
अन्य सामग्री	54080310	3894630001	61555812	3308754881
उप–योग		3894630001		3308754881
घटाया –निष्प्रयोज्य सामग्री की कमी/हानि के लिये प्राविधान		407020740		407020740
योग		**3487609261**		**2901734141**

टिप्पणी : अन्य भण्डार सामग्री में रचनाकर्त्ताओं को निर्गत सामग्री, निष्प्रयोज्य सामग्री, रद्दी सामान, कार्यशाला को मरम्मत हेतु भेजे गये परिवर्तकों, जाँच प्रक्रिया में लम्बित आधिक्य/कमी तथा पारगमन में सामग्री सम्मिलित है।

विविध देनदार

अनुसूची–7

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2009 को		31.03.2008 को
विविध देनदार–पारेषण प्रभार खण्ड अन्य सम्बंधित क्रिया कलाप		3551426014		2298773589
छः माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण				
संरक्षित एवं शोध्य विचारित	0		0	
असंरक्षित एवं शोध्य विचारित	416743		0	
संदिग्ध विचारित	0	416743	0	0
अन्य ऋण :				
असंरक्षित एवं शोध्य विचारित		3551009271		2298773589
उप योग		3551426014		2298773589
घटाया : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्राविधान		177571300		114938679
योग		**3373854714**		**2183834910**

एच॰के॰ अग्रवाल	पी॰एन॰ सेठ	आर॰पी॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

नकद एवं बैंक अवशेष

अनुसूची–8

(धनराशि रु. में)

विवरण		31.03.2009 को		31.03.2008 को
नकद रोकड़				
हस्तगत रोकड़ (उपलब्ध स्टैम्प्स सहित)	417950		349532	
अनुसूचित बैंकों में अवशेष :				
चालू एवं अन्य खातों में	246810708		510730687	
सावधि जमा खातों में	80000	247308658	80000	511160219
योग		**247308658**		**511160219**

अन्य चालू परिसम्पत्तियां

अनुसूची–9

(धनराशि रु. में)

विवरण		31.03.2009 को		31.03.2008 को
प्राप्य धनराशियां				
उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि. से	38062294		36393492	
उ.प्र.ज.वि.नि.लि. से	2027004	40089298	983795	37377287
कर्मचारियों से	37969018		39526157	
अन्य	40927618		23542979	
योग	**78896636**		**63069136**	
घटाया–संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्राविधान	24683933	54212703	25194088	37875048
पूर्वदत्त व्यय		0		1140104
जाँच में लम्बित चोरी गई स्थाई परिसम्पत्तियाँ	1045672	97783	1044249	0
घटाया–अनुमानित हानियों के लिए प्राविधान	1045672	0	1044249	0
योग		**94399784**		**76392439**

एच.के. अग्रवाल	पी.एन. सेठ	आर.पी. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	ए.के. गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची–10
(धनराशि रु. में)

विवरण		31.03.2009 को		31.03.2008 को
कर्मचारी (अग्रिमों सहित)		1555014		1251578
अग्रिम (असंरक्षित)				
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों	427189291		269125060	
घटाया–संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्राविधान	42718929	384470362	26912506	242212554
स्रोत पर कर की कटौती		7669644		6140378
फ्रिन्ज बेनीफिट टैक्स–अग्रिम कर		11780409		10742121
योग		**405475429**		**260346631**

चालू दायित्व एवं प्राविधान

अनुसूची–11
(धनराशि रु. में)

विवरण		31.03.2009 को		31.03.2008 को
चालू दायित्व				
पूंजीगत आपूर्तियों/कार्यों के दायित्व		4781393517		4690525759
ओ. एण्ड एम. आपूर्तियों/कार्यो के लिए दायित्व		372624537		328907250
कर्मचारियों से सम्बंधित दायित्व		1698700418		665982202
आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य से जमा एवं रोकी गयी धनराशि		608683065		473905549
विद्युतीकरण कार्यों हेतु जमा		4796740247		3512172147
निम्न को शुद्ध देय				
उ.प्र.पा.का.लि.	316050487		277924344	
केस्को	9397033		10802612	
दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.	33497736		28027243	
मध्यांचल वि.वि.नि.लि.	64890274		56812080	
पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.	20603731		25174960	
पूर्वांचल वि.वि.नि.लि.	36173020	480612281	36438228	435179467
विविध दायित्व		14790329		12340655
व्यय सम्बंधी दायित्व		71863366		50431488
उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट के लिए दायित्व				
भविष्य निधि दायित्व	166930843		78582032	
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी दायित्व	314608051	481538894	133857346	212439378
सी.पी.एफ. दायित्व		5670585		3393891
उधारी पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु देय नहीं		231048165		225357392
प्राविधान :				
फ्रिन्ज बेनीफिट टैक्स		12183959		9041660
योग		**13555849363**		**10619676838**

एच.के. अग्रवाल	पी.एन. सेठ	आर.पी. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	ए.के. गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

विद्युत के पारेषण एवं सम्बंधित क्रिया–कलापों से राजस्व

अनुसूची–12

(धनराशि रु. में)

विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
पारेषण प्रभार	7565197887	6792063389
मुक्त उपगम प्रभार	14882390	10154362
एस.एल.डी.सी. प्रभार	1655000	0
योग	**7581735277**	**6802217751**

अन्य आय

अनुसूची–13

(धनराशि रु. में)

विवरण		31.03.2009 को		31.03.2008 को
निम्न से ब्याज :				
कर्मचारियों को ऋण	214770		353472	
सावधि जमा	0		1214625	
अन्य	6038	220808	7142	1575239
ठेकेदारों/आपूतिकर्ताओं से आय		218570510		100733419
कर्मचारियों से किराया		1018170		1006440
विविध प्राप्तियाँ		7588529		9609061
भण्डार के भौतिक सत्यापन पर पाया गया आधिक्य		389889		467174
योग		**227787906**		**113391333**

मरम्मत एवं अनुरक्षण

अनुसूची–14

(धनराशि रु. में)

विवरण		31.03.2009 को		31.03.2008 को
संयंत्र एवं मशीनरी		547825444		566234440
भवन		46090007		39693895
अन्य जानपदीय कार्य		115457		622406
लाइन, केबिल नेटवर्क, आदि		46881073		58575135
वाहन व्यय	26998978		24464361	
घटाया–विभिन्न पूँजीगत एवं परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों/प्रशासनिक व्ययों को हस्तान्तरित	26998978	0	24464361	0
फर्नीचर एवं फिक्चर्स		56735		24325
कार्यालय उपकरण		211286		139714
योग		**641180002**		**665289915**

एच.के. अग्रवाल	पी.एन. सेठ	आर.पी. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	ए.के. गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

कर्मचारी लागत

अनुसूची–15

(धनराशि रु. में)

विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
वेतन एवं भत्ते	1678087639	1521418269
मंहगाई भत्ता	566150066	430037866
अन्य भत्ते	69749452	66616262
बोनस/अनुग्रह	29349434	24736310
चिकित्सा व्यय (प्रतिपूर्ति)	28296255	22156796
अवकाश यात्रा सहायता	7296	30384
उपार्जित अवकाश नकदीकरण	508992174	48931641
क्षतिपूर्ति	1100340	411180
कर्मचारी कल्याण व्यय	41404878	3375920
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी	372074778	339221689
अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभ	20518406	13230912
ट्रस्ट पर व्यय	1654487	1387558
उप योग	**3280085205**	**2471554787**
घटायें– पूँजीकृत व्यय	719039266	536298905
योग	**2561045939**	**1935255882**

एच.के. अग्रवाल	पी.एन. सेठ	आर.पी. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	ए.के. गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय

अनुसूची–16

(धनराशि रु. में)

विवरण		31.03.2009 को		31.03.2008 को
किराया		2217515		2437982
दर एवं कर		68308		103736
बीमा		394985		780428
संसूचना प्रभार		15635263		12574677
विधिक प्रभार		3908159		2769503
सम्प्रेक्षकों का पारिश्रमिक एवं व्यय				
सम्प्रेक्षा शुल्क	797332		466074	
यात्रा व्यय	519612	1316944	160958	627032
परामर्श शुल्क		1976965		32080
तकनीकी शुल्क एवं व्यवसायिक प्रभार		3750001		7474680
यात्रा एवं आवागमन		31290866		32289939
छपाई एवं लेखन सामग्री		5425410		4989655
विज्ञापन व्यय		5920403		2293433
विद्युत प्रभार		5497309		4658137
जल प्रभार		24648		30052
मनोरंजन		654238		132624
ट्रस्ट पर व्यय		185367		197205
विविध व्यय		18923690		34806623
उप योग		**97190071**		**106197786**
घटाया : पूंजीकृत व्यय		26859758		23835067
उप योग		**70330313**		**82362719**
अन्य व्यय				
क्षतिपूर्ति (कर्मचारियों के अतिरिक्त)		0		561112
अन्य हानियां		4189		16243209
योग		**70334502**		**99167040**

एच.के. अग्रवाल	पी.एन. सेठ	आर.पी. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	ए.के. गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

ब्याज एवं वित्तीय प्रभार

अनुसूची–17

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2009 को		31.03.2008 को	
ऋणों पर ब्याज				
उ.प्र. सरकार	166717258		166717258	
पी.एफ.सी.	1087793035		988159024	
हुडको	258346509		374337687	
आई.डी.बी.आई.	0		472895	
एन.सी.आर.पी.बी.	30825047		37063873	
आर.ई.सी.	523250853	2066932702	398434841	1965185578
प्रत्याभूति प्रभार		56189134		63706849
बैंक प्रभार		1596748		2465444
उप योग		**2124718584**		**2031357871**
घटाया : पूंजीकृत ब्याज		510675000		412496000
सकल योग		**1614043584**		**1618861871**

ह्रास

अनुसूची–18

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2009 को		31.03.2008 को	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर ह्रासः				
भवन	54301384		51818563	
अन्य जानपदीय कार्य	6672149		6684586	
संयत्र एवं मशीनरी	1406587027		1196814059	
लाइनें, केबिल नेटवर्क आदि	1353960322		1292185772	
वाहन	3931598		3870410	
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	699417		552444	
कार्यालय उपकरण	2816567		1696388	
अन्य परिसम्पत्तियाँ	12024708		11517495	
	2840993172	2840993172	2565139718	2565139718
घटाया–पूँजीगत कार्यों के सापेक्ष उपभोक्ताओं के अंशदान से अर्जित सम्पत्तियों पर भारित की जाने वाली ह्रास के अनुपात में परिशोधित धनराशि		58352035		27286706
कुल योग		**2782641137**		**2537851012**

एच॰के॰ अग्रवाल	पी॰एन॰ सेठ	आर॰पी॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

अशोध्य ऋण एवं प्राविधान

अनुसूची–19

(धनराशि रु. में)

विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
प्राविधान		
संदिग्ध ऋणों के लिए (विद्युत की बिक्री)	62632621	114938679
संदिग्ध अग्रिमों (आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों) के लिए	15806423	20676004
संदिग्ध अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ (प्राप्य)	1815294	296396
पूँजीगत कार्यों के विरूद्ध संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्राविधान	4261502	2034056
योग	**84515840**	**137945135**

शुद्ध पूर्वावधि आय/व्यय

अनुसूची–20

(धनराशि रु. में)

विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
अ–आय		
अ) अन्य अधिक प्राविधान	2692827	266697
उप योग	**2692827**	**266697**
ब–व्यय		
अ) ओ. एण्ड एम. व्यय	–21576329	2333429
ब) कर्मचारी लागत	7295740	9945075
स) ब्याज एवं वित्त प्रभार	–135052	0
द) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	585392	19610572
य) ह्रास का कम/अधिक प्राविधान	170291801	33709494
उप योग	**156461552**	**65598570**
शुद्ध धनराशि	**153768725**	**65331873**

एच.के. अग्रवाल	पी.एन. सेठ	आर.पी. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	ए.के. गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व नाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड)
अनुसूची संख्या–21
अ–महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँः

1. सामान्य :

(अ) वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार बनाये जाते हैं। फिर भी इन लेखों को बनाने में जहां कहीं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों से विचलन है, इलैक्ट्रीसिटी (सप्लाई) (वार्षिक लेखा) नियम, 1985 के तदनुरूप प्राविधानों को अंगीकृत किया गया है।

(ब) वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर तैयार किये गये हैं। जब तक अन्यथा वर्णित न हो, लेखांकन इस परिकल्पना के आधार पर किया गया है कि संस्था निरन्तर चलती रहेगी।

(स) सहायिकी, अनुदान, बीमा एवं अन्य दावे, सीमा शुल्क की वापसी, आयकर एवं व्यापार कर पर ब्याज का लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है। कर्मचारियों को दिये ऋणों पर ब्याज का लेखांकन, मूलधन की पूर्ण वसूली के उपरान्त, प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

2. स्थायी परिसम्पत्तियाँ :

(अ) स्थायी परिसम्पत्तियों को संचयी ह्रास को घटाने के उपरान्त ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है।

(ब) चालू करने की तिथि तक स्थायी परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति एवं स्थापना से सम्बंधित समस्त लागत पूँजीकृत की जाती है।

(स) उपभोक्ताओं से प्राप्त पूंजीगत सम्पत्तियों के अंशदान के सापेक्ष प्राप्त धनराशि को प्रारम्भ में पूंजीगत कोष के रूप में माना जाता है एवं तत्पश्चात सम्बन्धित परिसम्पत्तियों पर भारित ह्रास के अनुपात में परिशोधित किया जाता है।

(द) चालू हो चुकी परिसम्पत्तियों के मामलों में जहाँ ठेकेदारों के बिलों का अन्तिम निपटारा होना शेष है, पूँजीकरण इस प्रतिबंध के साथ किया जाता है कि आवश्यक समायोजन, अन्तिम निपटारे के वर्ष में कर लिया जायेगा।

(य) कार्यशील इकाइयों की बाहुल्यता के साथ ही साथ इकाई विशेष स्तर पर कार्यों की विविधता के कारण कर्मचारी लागत, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों का पूंजीकरण, पूंजीगत कार्यों पर हुए व्यय और धनराशि को निम्नानुसार पूंजीकृत किया जाता है।

पूँजीगत पारेषण कार्यों के सम्बन्ध में–

(i) 132 एवं 220 के.वी. उप–सस्थानों एवं लाइनों पर 10 प्रतिशत की दर से।

(ii) 400 के.वी. उप–संस्थानों एवं लाइनों पर 8 प्रतिशत की दर से और।

(iii) 765 के.वी. उप संस्थानों एवं लाइनों पर 6 प्रतिशत की दर से।

निक्षेप कार्यों पर 15% की दर से और अन्य पूँजीगत कार्यों पर 11% की दर से।

(र) पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण काल के मध्य उधारी लागत को वर्ष के प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो के औसत अवशेषों के आधार पर बांट दिया जाता है। विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखा) नियम, 1985 में दी गयी गणनाविधि के अनुसार पूँजीगत कार्यों पर आरोपणीय उधारी लागत की धनराशि निर्धारित करके पूँजीकृत की जाती है।

3. ह्रास :

(अ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–XIV में निर्दिष्ट दरों पर ह्रास 'सीधी रेखा पद्धति' के आधार पर भारित किया गया है।

(ब) वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों में हुयी वृद्धि/कमी पर ह्रास यथानुपात आधार पर भारित किया जाता है।

4. भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जे :

(अ) भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(ब) रद्दी इस्पात का मूल्यांकन वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है एवं रद्दी इस्पात के अतिरिक्त रद्दी सामान का लेखों में लेखांकन जैसे और जब बेचा जाता है, के आधार पर किया जाता है।

(स) वर्ष के अन्त तक भण्डार सामग्री में पायी गयी कोई कमी/आधिक्य को 'सामग्री की कमी/आधिक्य जांच के लिए लम्बित' के रूप में जांच के निर्णय होने तक दर्शाया जाता है।

5. राजस्व मान्यता

(अ) लेखों में पारेषण राजस्व का लेखांकन संगत वर्ष में हुए वास्तविक व्ययों के आधार पर किया जाता है तथा समता पर आय को समय–समय पर निदेशक मण्डल द्वारा किये गये अनुमोदन के आधार पर भारित किया जाता है। उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर सूची तथा वास्तविक दर सूची में अन्तर को उ.प्र.वि.नि.आ. के समक्ष प्रेषित ट्रू–अप में दर्शाया जाता है तथा उसका लेखांकन तद्नुसार किया जाता है।

(ब) अन्तर्राज्यीय पारेषण के मामलों में ऊर्जा के पारेषण/खुले आगमन से हुयी आय की मान्यता एवं लेखांकन एन.आर.एल.डी.सी. द्वारा अनुमोदित दर सूची के आधार पर किया जाता है।

(स) सभी पूर्वावधि से सम्बन्धित आय एवं व्यय को चालू अवधि में एक विशिष्ट मद के रूप में दर्शाया जाता है।

6. कर्मचारियों के लाभ :

(अ) कर्मचारियों के पेन्शन एवं ग्रेच्युटी से सम्बंधित दायित्वों का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है तथा लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया गया है।

(ब) अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा हित लाभ एवं अवकाश यात्रा सुविधा का लेखांकन वर्ष में दावों की प्राप्ति तथा अनुमोदन के आधार पर किया जाता है।

7. प्राविधान, आकस्मिक दायित्वों एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां :

(अ) प्राविधानों का लेखांकन जहां तक सम्भव हो चालू दायित्वों को निपटाने हेतु अनुमानित व्ययों के आधार पर किया जाता है।

(ब) आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन लेखों पर टिप्पणियों में किया गया है।

(स) आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ जो वसूली न होने योग्य आय से सम्बन्धित हैं, को मान्यता नहीं दी गयी है।

एच॰के॰ अग्रवाल	**पी॰एन॰ सेठ**	**आर॰पी॰ गुप्ता**	**एस॰के॰ अग्रवाल**	**ए॰के॰ गुप्ता**
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट की प्रतिबन्धाधीन

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 07–09–2012

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व नाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड)
अनुसूची–21

ब. संलग्न लेखों पर टिप्पणियाँ जो 31 मार्च, 2009 वार्षिक चिट्ठे एवं उसी तिथि को समाप्त अवधि के लाभ एवं हानि खाते के अंग हैं।

1. (अ) उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 293 दिनांक 16–05–2006 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ जब पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (दिनांक 31–05–2004 को निगमित) के नाम एवं उद्देश्य प्रस्तर में पार्षद सीमा नियम के तहत दिनांक 13–07–2006 को परिवर्तन किया गया।

   (ब) राज्य सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. 2974(1)/24–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के माध्यम से यह अधिसूचित किया कि अन्तरिम अन्तरण योजना ट्रान्समिशन से सम्बन्धित कार्यकलापों को यू.पी.पी.सी. एल. से यू.पी. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से बनायी गयी है और उसमें यू.पी.पी.टी.सी.एल. के व्यवसाय का कार्य क्षेत्र, परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व तथा अन्य प्रांसगिक एवं अनुवर्ती मामले दिये गये हैं। अन्तरण योजना के अन्तर्गत प्रभावी दिनांक 01.04.2007 निश्चित किया गया था, यानि जिस दिनांक को यू.पी.पी.टी.सी.एल. ने पारेषण एवं सम्बंधित कार्य करने हेतु एक अलग संस्था के रूप में क्रिया–कलाप करना प्रारम्भ किया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अनुसार यू.पी.पी.टी.सी.एल. एक राज्य विद्युत पारेषण सेवा प्रदाता है।

   अधिसूचना संख्या 2974/XXIV–पी–2–2010 दिनांक दिसम्बर 23, 2010 द्वारा राज्य सरकार ने यह भी अधिसूचित किया कि पारेषण उपक्रम को अनन्तिम रूप से उनसे सम्बन्धित कर्मचारियों एवं उनसे सम्बन्धित कार्यवाहियों को भी अन्तरित कर दिया जाये। इसके लिए योजना का अन्तिमीकरण प्रक्रियाधीन है।

   (स) वर्ष 2007–08 में पुनर्संरचना खाते की धनराशि रु. 180.72 करोड़ (पूर्व वर्ष रु. 180.72 करोड़) कोष एवं आधिक्य मद के अन्तर्गत दर्शायी गयी। यह दिनांक 1–04–2007 के इकाईवार अवशेषों एवं अनन्तिम अन्तरण योजना में दर्शाये गये संकलित अवशेषों के मध्य अन्तर से सम्बन्धित है। योजना का अन्तिमीकरण प्रक्रियाधीन है।

2. रुपये 2639.89 करोड़ (पूर्व वर्ष 2208.34 करोड़) की अंश आवेदन धनराशि (आवंटन हेतु लम्बित) में अंश पूँजी रु. 1263.97 करोड़ तथा अंश आवेदन धनराशि रु. 579.00 करोड़ सम्मिलित है, जो कि अनन्तिम अन्तरण योजना के अन्तर्गत अन्तरित की गई है। शेष धनराशि रु. 793.92 करोड़ (वर्ष 2007–08 में 365.37 करोड़ तथा वर्ष 2008–09 में रु. 428.55 करोड़) उत्तर प्रदेश सरकार से अंशपूँजी के रूप में मिली थी।

3. (अ) ट्रांसमिशन एवं सम्बन्धित कार्यों से प्राप्त होने वाले राजस्व से सम्बन्धित देनदारों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्राविधान 5 प्रतिशत की दर से किया गया है।

   (ब) ऋणों एवं अग्रिमों/पूंजीगत कार्य प्रगति में शीर्षों के अन्तर्गत आपूर्तिकत्ताओं/ठेकेदारों के दर्शाये गये अवशेषों पर संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिये प्राविधान 10 प्रतिशत की दर से किया गया है। लेकिन पूँजीगत कार्यों हेतु ठेकेदारों को निर्गत सामग्री के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

   (स) अन्य चालू सम्पत्तियों के शीर्ष में दर्शाये गये ''कर्मचारियों'' एवं ''अन्य'' के सापेक्ष संदिग्ध प्राप्यों के लिये

प्रावधान 10 प्रतिशत की दर से किया गया है–सिवाय इटलू, वाराणसी में रु. 1.86 करोड़ के जहाँ पूर्व वर्ष में प्रावधान 100 प्रतिशत की दर से किया गया है।

4. प्रारम्भिक व्ययों को 20 प्रतिशत की दर से अपलेखित किया गया है। यह पाचवाँ वर्ष होने के कारण प्रारम्भिक व्यय पूर्णतया अपलेखित कर दिये गये हैं।

5 कारपोरेशन के आदेश संख्या 175 /काविनी दिनांक 09–02–2009 के अनुसरण में छठवें वेतन आयोग के वेतन बकाया के भुगतान हेतु रु. 59.08 करोड़ (पूर्व वर्ष रु. 51.32 करोड़) का प्राविधान इस वर्ष के लेखों में कर लिया गया है।

6. अन्तर इकाई लेन–देन : अन्तर इकाई लेन–देनों के डेबिट अवशेष रु. 14.33 करोड़ (पूर्व वर्ष रु. 48.19 करोड़) का समाधान प्रक्रिया में है और समाधान के प्रभाव, यदि कोई हुए, को अगले वर्षों के लेखों में लेखांकित किया जायेगा।

7. (अ) जहाँ कहीं हटाई गयी/रिटायर्ड की गयी और अप्रचलित स्थायी परिसम्पत्तियों का ऐतिहासिक मूल्य उपलब्ध न हो, ऐसी परिसम्पत्तियों के अनुमानित मूल्य एवं उनपर ह्रास की धनराशि को समायोजित एवं लेखीकृत किया गया है।

(ब) परिसम्पत्तियों पर ह्रास का प्राविधान अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी दरों पर ''सीधी रेखा पद्धति'' के अनुसार किया गया है। सम्पति के परिवर्धन/कटौती पर ह्रास का प्राविधान आनुपातिक आधार पर किया गया है।

(स) परिसम्पत्तियों के स्वामित्व (उपर्युक्त अनन्तिम अन्तरण योजना के अन्तर्गत हस्तांतरित) कारपोरेशन के पक्ष में अन्तरण करने की औपचारिकताएँ प्रक्रियाधीन हैं।

8. (अ) 'चालू परिसम्पत्तियों' ''ऋण एवं अग्रिमों'' 'असंरक्षित ऋणों' में 'चालू दायित्वों' एवं पारगमन भण्डार सामग्री ठेकेदारों/निर्माणकर्ताओं के पास निरीक्षण हेतु पड़ी हुई भण्डार सामग्री में दर्शाये गये कुछ अवशेष पुष्टिकरण/समाधान एवं अग्रेतर समायोजन, जैसा कि आवश्यक हो, की शर्ताधीन हैं।

(ब) व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में समग्र रूप से चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पर प्राप्त होने वाली राशि कम से कम तुलन पत्र में दर्शाये गये मूल्य के बराबर होगी।

9. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्यमों (एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत) को देय धनराशि को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका एवं सम्बन्धित पर्याप्त सूचनाओं के अभाव में उनपर देय ब्याज का प्राविधान नहीं किया जा सका। फिर भी, कम्पनी इस सम्बन्ध में पूर्ण सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

10. पूर्व में कारपोरेशन ने पारेषण के बिल रु. 0.11 प्रति यूनिट की दर से निर्गत किये थे। किन्तु लेखीय नीति के सन्दर्भ में पारेषण राजस्व का लेखांकन रु. 0.1435 प्रति यूनिट (पूर्व वर्ष रु. 0.1317 प्रति यूनिट) की दर से किया गया है, जिसके बिल यथा समय परिशोधित किये जायेंगे। उपर्युक्त लेखांकन उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन की शर्ताधीन है।

11. एस.एल.डी.सी. के पृथक कार्य के एक भाग के रूप में कम्पनी, एस.एल.डी.सी. के प्रभारों के लिए एक अलग बैंक खाते का रख–रखाव कर रही है। अनुसूची संख्या 8 में दर्शाये गये अनुसूचित बैंक के अवशेष में रु. 0.16 करोड़ का अवशेष उक्त खाते के क्रेडिट अवशेष में सम्मिलित है। एस.एल.डी.सी. से सम्बन्धित आय को अनुसूची–12 में भी अलग से दर्शाया गया है।

12. विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय शून्य था। (पूर्व वर्ष शून्य)

13. निदेशकों से प्राप्त ऋण रु. शून्य थे। (पूर्व वर्ष शून्य)

14. निदेशकों को पारिश्रमिक एवं हित लाभ :

पूर्ण–कालिक निदेशकों (कार्यकारी एवं निदेशक मंडल के मुख्य सदस्य), अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों को सम्मिलत करते हुए यू.पी.पी.सी.एल. के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/तैनात किये गये हैं और कम्पनी (यू.पी.पी.टी.सी.एल) का अतिरिक्त कार्यभार भी उनके पास है। उन्होंने अपना पारिश्रमिक जैसा कि उनका हक हो, भी यू.पी.पी.सी.एल. से आहरित किया है।

15. (अ) दिनांक 09–11–2000 की बिमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर (यू.पी.पी.सी.एल. के निदेशक मंडल द्वारा अंगीकार की गयी) पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के प्रोद्भूत दायित्व का प्राविधान कर्मचारियों को देय मूल वेतन एवं ग्रेड पे मंहगाई भत्ते को जोड़कर क्रमशः 16.70 प्रतिशत एवं रु. 2.38 प्रतिशत की दर से किया गया है। कम्पनी ने पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के दायित्व का निर्धारण करने हेतु नये सिरे से बिमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की है।

(ब) अवकाश नकदीकरण, चिकित्सीय लाभ एवं अवकाश यात्रा सुविधा का लेखांकन प्राप्त दावों एवं वर्ष में अनुमोदन के आधार पर किया गया है।

16. चूंकि कारपोरेशन मुख्यतः विद्युत के पारेषण का व्यवसाय करता है और लेखीय मानक–17 के अनुसार अन्य कोई सूचनीय भाग नहीं है और इस प्रकार ले.मा.–17 के अन्तर्गत कोई सूचनीय भाग के प्रकटन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, एस.एल.डी.सी. के प्रथक कार्यों से सम्बंधित क्रिया–कलापों के लेनदेनों का विवरण पूर्व में ही उपर्युक्त प्रस्तर–11 में दिया जा चुका है।

17. लेखीय मानक–18 के अनुसार प्रकटन :

(अ) सम्बंधित पक्षों की सूची (मुख्य प्रबन्धन कार्मिक)

क्र.सं.	नाम	पद	कार्यावधि (वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए)	
			नियुक्ति	सेवानिवृत्ति/समाप्ति
1.	श्री जी.बी. पटनायक	अध्यक्ष	24–03–08	29–04–08
2.	श्री प्रदीप शुक्ला	अध्यक्ष	26–04–08	30–12–08
3.	श्री वी.एन. गर्ग	अध्यक्ष	31–12–08	06–01–09
4.	श्री नवनीत सहगल	अध्यक्ष	07–01–09	कार्यरत
5.	श्री ए.के. अवस्थी	प्रबन्ध निदेशक	24–03–08	06–01–09
6.	श्री नरेन्द्र भूषण	प्रबन्ध निदेशक	16–03–09	कार्यरत
7.	श्री. एस.के. अग्रवाल	निदेशक	09–01–09	कार्यरत
8.	श्री एच.सी. सिंह	निदेशक	14–08–07	08–01–09
9.	श्री रमा रमन	निदेशक	22–09–08	कार्यरत
10.	श्री गणेश सिंह	निदेशक	16–12–08	कार्यरत
11.	श्री मन मोहन	निदेशक	28–03–09	कार्यरत

(ब) मुख्य प्रबन्धन कार्मिकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ (अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशक)–शून्य

(ब) सम्बन्धित पक्षों से लेन–देनः यू.पी.पी.टी.सी.एल. एक राज्य सरकार का उद्यम होने के कारण अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों से सम्बन्धित पक्षों से लेन–देन सम्बन्धी प्रकटन लेखीय मानक–18 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार लागू नहीं हैं।

18. लेखीय मानक–20 (ईपीएस) के अनुसार प्रति अंश मूल आय एवं कम हुई आय लाभ एवं हानि खाते में दर्शायी गयी है। प्रति अंश मूल आय टैक्स घटाने के पश्चात शुद्ध हानि वर्ष के दौरान अंशों की समस्त भारित संख्या से भाग देकर आगणित की गयी है। प्रति अंश कम हुई आय के आगणन हेतु प्रयोग की गयी संख्या में अंशपूँजी धनराशि (आंवटन हेतु लम्बित) सम्मिलित है।

(धनराशि रु. में)

	प्रति अंश आय	31.03.2009	31.03.2008
(अ)	कर के पश्चात शुद्धि हानि (आगणन हेतु प्रयुक्त गणक)	101293262	147366774
(ब)	समता अंशों की भारित औसत संख्या (मूल प्रति अंश आय के आगणन हेतु प्रयुक्त भाजक)	50000	50000
(स)	समता अंशों की भारित औसत संख्या (प्रति अंश कम हुई आय के आगणन हेतु प्रयुक्त भाजक)	24630519	20458762
(द)	प्रत्येक 1000/– रु. के प्रति अंश पर मूल आय	(2025.87)	(2947.34)
(य)	प्रत्येक 1000/– रु. के प्रति अंश पर कम हुई आय	(4.11)	(7.20)

19. आस्थगित कर सम्पत्तियों का लेखांकन विवेकपूर्ण आधार पर लेखों में विचारित नहीं किया गया, क्योंकि रु. 1001.21 करोड़ की असंविलित संचित हानियों के कारण निकट भविष्य में उपलब्ध होने वाली आय के सम्बन्ध में कम्पनी निश्चित नहीं है (इसमें रु. 926.27 करोड़ की संचित हानि की धनराशि सम्मिलित है जोकि अन्तरण योजना के अन्तर्गत उ.प्र.पा.का.लि द्वारा हस्तांतरित की गयी है)। उपर्युक्त अन्तरण योजना के अन्तर्गत हस्तान्तरक (उ.प्र.पा.का. लि.) से हस्तान्तरी (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.) को पारेषण उपक्रम का हस्तांतरण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(19एए) के अभिप्राय से हस्तान्तरक का अविलयन होगा।

20. प्रबन्धन की राय में जैसा कि आई.सी.ए.आई. के लेखीय मानक–28 में निर्धारित है तुलन पत्र की तिथि को कोई विशेष सूचना नहीं है कि स्थाई परिसम्पत्तियों में कोई क्षरण नहीं हुआ है। अग्रेतर, कारपोरेशन की स्थायी परिसम्पत्तियों का लेखांकन उनकी ऐतिहासिक लागत पर किया गया है तथा अधिकतर स्थायी परिसम्पत्तियां बहुत पुरानी हैं जहां क्षरण की सम्भावना बहुत ही असंभाव्य है।

21. वर्ष के दौरान विद्युत का पारेषण/चक्रण 52719.149 मि.यू. है (पूर्व वर्ष 51572.235 मि.यू.)।

22. (अ) दिनांक 31.03.2009 को पूँजीगत कार्यों के ठेकों की अनुमानित धनराशि जिनका कार्य निष्पादित नहीं हुआ था और जिनके लिए कोई प्राविधान नहीं किये गये थे? (पूर्व वर्ष रु. 228.28 करोड़)।

(ब) **आकस्मिक दायित्व :**

कम्पनी के विरुद्ध रु. 16.76 करोड़ के दावे हैं जिनको ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। (पूर्व वर्ष रु. 14.25 करोड़)

23. तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते तथा अनुसूचियों में दी गयी राशियों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

24. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया पुनर्वर्गीकृत/पुनर्श्रेणीकृत एवं पुनर्निर्माण किया गया है।

एच॰के॰ अग्रवाल	पी॰एन॰ सेठ	आर॰पी॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

आर॰पी॰ तिवारी

साझीदार

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 07–09–2012

आर्थिक चिट्ठासार एवं कम्पनी के सामान्य व्यवसाय का पार्श्वदृश्य

1. पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या 20-28687 राज्य कोड 20

तुलनपत्र तिथि

दिनांक	माह	वर्ष
31	03	2009

2. वर्ष के दौरान पूँजी निर्माण (धनराशि हजार रुपये में)

सार्वजनिक निर्गम: शून्य

बोनस निर्गम: शून्य

अधिकार निर्गम: शून्य

निजी भागीदारी: शून्य

3. निधियों के जुटाव एवं विकास की स्थिति : (धनराशि हजार रुपये में)

कुल दायित्व: 53466203

कुल परिसम्पत्तियाँ: 53466203

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी: 50000

कोष एवं आधिक्य: 3221295

अंश आवेदन धनराशि आवंटन हेतु लम्बित: 26368852

असंरक्षित ऋण: 19244076

संरक्षित ऋण: 4581979

विविध व्यय: शून्य

निधियों का उपयोग

शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियाँ: 49258019

शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ: 5803891

संचित हानियाँ: 10012075

विनियोग: शून्य

कुल व्यय: 7907605

4. कम्पनी का निष्पादन धनराशि हजार रु. में

कुल बिक्री (सकल राजस्व): 7809523

(+/–) कर के पश्चात लाभ/हानि: (-) 101293

(+/–) कर के पूर्व लाभ/हानि: (-) 98081

लाभांश दर प्रतिशत में: शून्य

प्रतिअंश आय (रु. में): (-) 2026

मद कोड सं.: लागू नहीं

उत्पाद/सेवा विवरण

विद्युत का पारेषण

एच॰के॰ अग्रवाल	पी॰एन॰ सेठ	आर॰पी॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	ए॰के॰ गुप्ता
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

उ.प्र. पावर ट्रांन्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

दिनांक 31.03.2009 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण (धनराशि करोड़ रु. में)

	31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए	2008–09	2007–08
(अ)	परिचालकीय क्रिया कलापों से रोकड़ प्रवाह		
	पूर्वावधि आय एवं व्यय तथा कर से पूर्व से शुद्ध लाभ/हानि	**5.58**	**(7.88)**
	निम्न के लिए समायोजन –		
	(अ) ह्रास	278.26	253.78
	(ब) ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	161.40	161.89
	(स) अशोध्य ऋण एवं प्राविधान	8.45	13.79
	(द) ब्याज से आय	(0.02)	(0.16)
	(र) पूर्वावधि व्यय (शुद्ध)	(15.41)	(6.53)
	(ल) फ्रिन्ज बेनीफिट टैक्स	(0.32)	(0.32)
	(व) अपलेखित प्रारम्भिक व्यय	0.01	0.01
	उप योग	**432.37**	**422.46**
	कार्यशील पूंजीगत परिवर्तन के पूर्व परिचालकीय लाभ	**437.95**	**414.58**
	निम्न के लिए समायोजन –		
	(अ) भन्डार एवं कलपुर्जे	(58.59)	(290.17)
	(ब) विविध देनदार	(125.27)	(229.88)
	(स) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	(1.98)	(7.62)
	(द) ऋण एवं अग्रिम	(16.09)	(27.40)
	(र) चालू परिसम्पत्तियां एवं प्राविधान	293.61	1060.23
	(ल) अन्तर इकाई अन्तरण	33.86	(48.19)
	उप योग	**125.54**	**456.97**
	परिचालकीय क्रिया–कलापों से शुद्ध रोकड़ (अ)	**563.49**	**871.55**
(ब)	विनियोगी क्रिया कलापों से रोकड़ प्रवाह		
	(अ) स्थायी परिसम्पत्तियों की कमी/(परिवर्धन)	(636.65)	(3,847.58)
	(ब) प्रगतिशील कार्यो में कमी/(परिवर्धन)	(181.53)	(798.36)
	(स) विनियोगों में कमी/(परिवर्धन)		
	(द) पुनर्संरचना खाते में कमी/(परिवर्धन)		
	(र) ब्याज आय	0.02	0.16
	परिचालकीय क्रिया–कलापों से शुद्ध रोकड़ सृजन (ब)	**(818.16)**	**(4645.78)**
(स)	वित्तीय क्रिया कलापों से रोकड़ प्रवाह		
	(अ) उधारी से प्राप्तियाँ (शुद्ध)	(83.57)	2,466.17
	(ब) अंश पूंजी से प्राप्तियां	428.55	2,208.89
	(स) उपभोक्ता अंशदान एवं उत्तर प्रदेश सरकार से पूँजीगत सहायिकी (कोष एवं आधिक्य) से प्राप्तियाँ	44.70	283.30
	(द) ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(161.40)	(161.89)
	(र) अन्तरण योजना के अनुसार संचयी हानि		(976.27)
वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध रोकड़ सृजन (स)		(26.39)	(161.89)
रोकड़ में शुद्ध वृद्धि/(कमी) एवं रोकड़ समतुल्य (अ+ब+स)		51.12	5.70
वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य		24.73	51.12
वर्ष के अन्त में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य			

रोकड़ प्रवाह विवरण पर टिप्पणियाँ :

अ. यह विवरण परोक्ष पद्धति से तैयार किया गया है जैसा कि लेखीय मानक–3 द्वारा निर्दिष्ट है।

ब. पूर्वावधि व्यय (शुद्ध) को रु. 0.03 लाख के ह्रास जो परिशोधित किया गया है को घटाकर दर्शाया गया है।

स. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में नकद अनुसूचित बैंको में अवशेष एवं बैंकों में सावधि जमा सम्मिलित है।

द. इस विवरण में आंकडों को करोड़ रूपये में दो दशमल तक लिया गया है।

र. पूर्व वर्ष के आँकड़ों में अन्तरण योजना के अन्तर्गत अन्तरित अवशेष सम्मिलित हैं इसलिए चालू वर्ष के आँकड़े तुलना योग्य नहीं हैं।

एच.के. अग्रवाल	पी.एन. सेठ	आर.पी. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	ए.के. गुप्ता
कम्पनी सचिव, अंशकालिक	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन

कृते आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

आर.पी. तिवारी

साझीदार

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 07–09–2012

आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

मुख्यालयः 4-10 विशाल खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ–226010
टेलीफोन नं. 522-4043793

सम्प्रेक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण
उत्तर प्रदेश पावर पारेषण कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व नाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड)
लखनऊ

1. हमने 31 मार्च, 2009 के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के संलग्न आर्थिक चिट्ठे एवं उनके साथ सलंग्न इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का कम्पनी लाभ एवं हानि खाता एवं रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसमें चार पारेषण क्षेत्रों के लेखे जिनका सम्प्रेक्षण सम्बन्धित शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा किया गया है, समाविष्ट है, का सम्प्रेक्षण किया है। इन विवरणों के लिए कम्पनी प्रबन्धन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने, अपना सम्प्रेक्षण भारत वर्ष में सामान्यतः मान्य सम्प्रेक्षण मानकों के अनुसार किया है। यह मानक अपेक्षा करते हैं कि हम अपने सम्प्रेक्षण की कार्य योजना इस प्रकार बनाये व सम्प्रेक्षण का कार्य इस प्रकार करें ताकि हमें उचित रूप से विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से रहित हैं। सम्प्रेक्षण, जो परख जांच के आधार पर किया जाता है, में इसका भी समावेश होता है कि वित्तीय विवरणों में इंगित की गयी धनराशियों के समर्थित साक्ष्य एवं प्रकट किये गये तथ्यों की जांच सम्मिलित होती है। ऐसे सम्प्रेक्षण में प्रयोग में लाये गये लेखीय सिद्धान्तों की जांच एवं प्रबन्धन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों की जांच एवं वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण भी सम्मिलित हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया सम्प्रेक्षण हमारे अभिमत का उचित आधार प्रस्तुत करता है।

3. जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी (सम्प्रेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा अपेक्षित है, हम कथित आदेश के प्रस्तर 4 एवं 5 में निर्दिष्ट प्रकरणों पर एक विवरण अनुलग्नक में संलग्न कर रहे हैं।

4. (अ) कोष एवं अधिक्य में वर्ष के अन्त तक पुनर्संरचना खाते के रूप में रु. 180.72 करोड़ का अवशेष सम्मिलित है। यह दिनांक 01.04.2007 को पुस्तकों के अनुसार परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के रख रखाव संकलित अवशेषों तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी राजपत्रिक अधिसूचना सं. 2974/XXIV–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के माध्यम से अधिसूचित अन्तरण योजना में दर्शाये गये अवशेषों के मध्य अन्तर से सम्बंधित है। कथित अनन्तिम अंतरण योजना का अन्तिमीकरण अभी लम्बित है, जिसके कारण वित्तीय विवरणों में दर्शाये गये परिसम्पत्तियों एवं दायितवों के अवशेषों की स्थिति परिवर्तित हो सकती है (अनुसूची–21–वी की टिप्पणी सं. 1 का सन्दर्भ लें)

(ब) जैसा कि अनुसूची 21 (बी) की टिप्पणी संख्या 10 में संदर्भित है असम्प्रेक्षित वास्तविक व्ययों के आधार पर पारेषण प्रभार (अनुसूची–12) का लेखांकन प्रारम्भ में ऊर्जा के चक्रण पर प्रति यूनिट रू. 0.11 पैसे की दर से किया गया था। निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार बाद में इस दर सूची को संशोधित कर इसे रु० 0.1435 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया। (लेखीय नीति संख्या–5 (अ)) तथा अतिरिक्त राजस्व को वर्ष के अन्त में मान्यता दी गयी, जिसके लिए अभी बिल निर्गत नहीं किये गये हैं।

पारेषण दर सूची, जिसे निदेशक मंडल ने अनुमोदित किया है, यू.पी.ई.आर.सी. के अनुमोदन की शर्ताधीन है।

(स) जैसा कि अनुसूची–21 (बी) की टिप्पणी सं. 8 (अ) में सन्दर्भित है, चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम, असंरक्षित ऋण, चालू दायित्वों (डिस्काम आदि के अवशेषों को सम्मिलित करते हुए) भन्डार सामग्री पारगमन में/निरीक्षण के अन्तर्गत/ठेकेदारों/निर्माणकर्ताओं के पास आदि पुष्टिकरण, समाशोधन एवं परिणामी समायोजन की शर्त्ताधीन है, यदि कोई हो। पर्याप्त सूचना के अभाव में हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि यह अवशेष वसूली योग्य हैं या नहीं हैं तथा अनुसूची 21ब की टिप्पणी संख्या 3 (अ) (ब) तथा (स) के अनुसार इनके लिए जो प्राविधान किये गये हैं वह प्रर्याप्त हैं अथवा नहीं।

(द) चालू परिसम्पत्तियां ऋण एवं अग्रिमों में अन्तर इकाई हस्तांतरण के रूप में रु. 14.33 करोड़ सम्मिलित है जो कि अन्तर इकाई लेन देनों के असमाधानित अवशेषों को प्रदर्शित करती है। जैसा कि प्रबन्धन द्वारा सूचित किया गया है अन्तर इकाई खातों का समाधान प्रक्रियाधीन है।

(य) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय बकाया जैसा कि एम.एस.एम.इ.डी. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत परिभाषित है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग–1 के अनुसार प्रकट नहीं किया गया तथा कम्पनी के पास पर्याप्त सूचना के अभाव में इन अवशेषों पर देय ब्याज के वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गयी। (अनुसूची–21–ब की टिप्पणी संख्या 9 का सन्दर्भ लें)।

(र) रोकड़ एवं बैंक अवशेषों (अनुसूची–8) में बैंक में सावधि जमा की धनराशि रु. 80000/– सम्मिलित है जिसका विवरण कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है एवं जिसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया। जैसा कि प्रबन्धन द्वारा सूचित किया गया है कि इस खोयी हुयी सावधि जमा रसीद की जांच पड़ताल प्रक्रियाधीन है।

(ल) यह पाया गया कि पक्षवार सहायक लेजरों के रख'–रखाव की पद्धति तथा प्राथमिक लेखा पुस्तकों के साथ इनके मिलान की प्रक्रिया प्रभावी नहीं है।

(व) अनुसूची–21 ब की टिप्पणी सं.–22 (अ) तथा 22(ब) में इंगित आकस्मिक दायित्वों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा जैसा बताया गया उस पर हमारे द्वारा विश्वास कर लिया गया।

5. (अ) जैसा कि लेखीय मानक–2 में आवश्यक है, भण्डार सामग्री का मूल्यांकन लागत पर किया गया है न कि लागत से कम मूल्य पर या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर। (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति सं.–4 का संदर्भ लें)

(ब) पूर्ण हुई परियोजनाओं पर प्रगतिशील पूंजीगत कार्यो पर हुए व्यय को स्थानातरित करके पूंजीकृत कर लिया गया है। परियोजना की लागत को सम्बंधित अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया जाता है। कार्यकारी इकाइयों की बहुल्यता के कारण एवं साथ ही साथ इकाई विशेष पर कार्यो की विविधता के कारण कर्मचारी लागत एवं सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों को पूँजीगत कार्यों पर हुए कुल व्यय के आधार पर पूंजीकृत

किया जाता है। (अनुसूची–21 की लेखीय नीति 2 (ई) का सन्दर्भ लें)

अप्रत्यक्ष व्ययों को पूँजीगत करने की पद्धति लेखीय मानक–10 ''स्थायी परिसम्पत्तियों'' का लेखांकन में दिये गये प्रतिपादन के अनुसार नहीं है।

(स) लेखों पर टिप्पणी की अनुसूची–21 ब की टिप्पणी सं. 15 (अ) 15 (ब) के अन्तर्गत कम्पनी ने कर्मचारी लाभों को मान्यता दी है प्रकटन किया है, जो लेखीय मानक-15 कर्मचारी लाभ (संशोधित, 2005) के अनुरूप नहीं है।

(द) स्थाई परिसम्पत्तियों पर उधारी लागत को सम्पत्ति के प्रतिस्थापन की वास्तविक तिथि या सम्पत्ति को क्रय करने की तिथि को संज्ञान में लिये बिना वर्ष के आरम्भ में प्रगतिशील कार्यो पर पूँजीकृत है। (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति संख्या–2 (र) का सन्दर्भ लें)।

अग्रेतर कुछ सम्पत्तियों जो अर्हक सम्पत्ति न हों, पर भी ब्याज पूँजीकृत किया जाता है क्योंकि इनके तैयार होने में बहुत अधिक समय नहीं लगता। हमारे अभिमत में स्थायी परिसम्पत्तियों पर उधारी लागत को पूँजीगत करने की विधि लेखीय मानक–16 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप नहीं है।

(य) अनुसूची–21 ब की टिप्पणी संख्या 19 के सन्दर्भ में अपूर्ण सूचना होने के कारण हम लेखीय मानक–22 ''आय पर टैक्स का लेखांकन'' के अनुसार आस्थगित कर के लेखांकन पर पर्याप्तता या अन्यथा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(र) परिसम्पत्तियों के क्षरण के सम्बन्ध में प्रबन्धन का मत सम्बन्धित सूचना द्वारा समर्थित नहीं है। अतः हम अनुसूची–21 ब की टिप्पणी संख्या–20 के अनुसार लेखीय मानक (ले.मा.)–28 के प्राविधान के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ल) कम्पनी ने लेखीय मानक–29 के अनुसार प्राविधान की प्रत्येक श्रेणी का प्रकटन यथा प्राविधानों, आकस्मिक परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों यथा किये गये अतिरिक्त प्राविधान, प्रयोग की गयी धनराशि एवं वर्ष के दौरान विलोमित अप्रयोज्य धनराशि आदि के प्रस्तर–66 की प्रकटन की आवश्यकतानुसार अनुपालन नहीं किया है।

6. पूर्ण सूचना के अभाव में इस रिपोर्ट के संलग्नक के प्रस्तर 4 एवं 5 में हमारे द्वारा की गयी आपत्तियों का कम्पनी के लेखों पर संचयी प्रभाव अभिनिश्चित नहीं है।

7. पूर्व वर्षों की भांति प्रबन्धन द्वारा कम्पनी के अन्तिम खाते, शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की शाखाओं से प्राप्त तलपटों के आधार पर संकलित किये गये हैं।

8. हमारे अभिमत में हमारी सम्प्रेक्षा के लिए उचित एवं पर्याप्त नियत विवरण उन शाखाओं से प्राप्त हो गये हैं जिनका निरीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया। शाखा सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रसारित की गयी और उन पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से विचार किया गया।

9. कम्पनी क्रिया–कलापों के विभाग के परिपत्र सं. 8/2002 के सन्दर्भ में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) जी के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के प्राविधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

10. उपर्युक्त प्रस्तर 4 एवं 7 में दी गयी हमारी आपत्तियों एवं प्रस्तर 3 में सन्दर्भित अनुलग्नक में दी गयी टिप्पणियों की शर्ताधीन हम सूचित करते हैं कि :–

(अ) हमने अपने सम्प्रेक्षण के उद्देश्य के सिवाय उनके जो ऊपर इंगित है सभी आवश्यक सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो कि हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

(ब) हमारे अभिमत में कम्पनी ने विधिसम्मत सभी उचित लेखा पुस्तकों का रख–रखाव किया है जैसा कि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के परीक्षण से स्पष्ट होता है।

(स) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित आर्थिक चिट्ठा, लाभ एवं हानि खाता, रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों तथा क्षेत्रों से प्राप्त सम्प्रेक्षित विवरणों से मेल खाते हैं।

(द) हमारे अभिमत में इस रिपोर्ट द्वारा विचारित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में संदर्भित लेखीय मानक का अनुपालन करते हैं।

(य) हमारे अभिमत में तथा पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित लेखे सपठित लेखीय नीतियां एवं अनुसूची–21 में सन्दर्भित टिप्पणियां कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखीय सिद्धान्तों की अनुरूपता में यथार्थ एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं –

(अ) आर्थिक चिट्ठे के मामले में दिनांक 31.03.2009 को कम्पनी के क्रिया–कलापों की स्थिति।

(ब) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के मामले में हानि की स्थिति एवं।

(स) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में रोकड़ प्रवाह की स्थिति।

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

आर॰पी॰ तिवारी

साझीदार

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 07–09–2012

आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

मुख्यालयः 4-10 विशाल खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ–226010
टेलीफोन नं. 522-4043793

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में सन्दर्भित अनुलग्नक

ऐसे परीक्षण के आधार पर जैसा कि हमनें लागू करना उचित समझा मुख्यालय के सम्प्रेक्षण के दौरान प्रबन्धन द्वारा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित चार पारेषण क्षेत्रों की सम्प्रेक्षक रिपोर्ट के आधार पर हम निम्नवत सूचित करते हैं :–

I	अ	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं उनकी अवस्थिति सम्बधी पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।
	ब	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है, अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऐसी किसी सामग्री में कोई महत्वपूर्ण विसंगति थी या नहीं।
	स	हमारे अभिमत में कम्पनी ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निस्तारण नहीं किया है।
II	अ	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा भण्डार की भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे अभिमत में भण्डार की प्रकृति एवं अवस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।
	ब	प्रबन्धन द्वारा अपनायी गयी भण्डार सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया उचित है तथा कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के सन्दर्भ में पर्याप्त है, सिवाय पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद के जहां इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
	स	हमारे अभिमत में कम्पनी भण्डार सामग्री के उचित अभिलेखों का रख–रखाव कर रही है, सिवाय पारेषण पूर्व क्षेत्र जहां कुछ खन्डों में भण्डार सामग्री के अभिलेख अपूर्ण पायं गये। जहां कहीं भौतिक सत्यापन में महत्वपूर्ण विसंगतियां इंगित की गयी हैं उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित रूप से कार्यान्यवित किया गया है।
III	अ	जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कम्पनी ने किसी कम्पनी, फर्म या अन्य पक्षों को जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित हैं को कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित स्वीकृत नहीं किये हैं।
	ब	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (अ) के परिपेक्ष्य में आदेश के प्रस्तर सं. (III) (बी) (सी) एवं डी लागू नहीं है।
	स	कम्पनी ने कम्पनी, फर्मों या अन्य पक्षों से जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित है, से कोई ऋण सरंक्षित या असंरक्षित नहीं लिया है।
	द	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (स) के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी (सम्प्रेक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के प्रस्तर संख्या (III) (एफ) एवं (जी) लागू नहीं है।
IV		हमारे अभिमत में एवं हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण पद्धति है, जो कम्पनी के आकार एवं भण्डार एवं स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय तथा सेवाओं की बिक्री के

		व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है। अपवाद स्वरूप निम्न को छोड़करः– (1) पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में उप–ठेकादारों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये किसी विशेष निक्षेप कार्यो एवं अन्य कार्यो से सम्बन्धित व्यय का लेखांकन। (2) पारेषण (पूर्व), इलाहाबाद में भण्डार सामग्री के निरीक्षण/सत्यापन, अग्रिमों एवं सामग्री की प्राप्ति का समायोजन। उपर्युक्त की शर्ताधीन आन्तरित नियंत्रण में मुख्य कमियों के निवारण हेतु निरन्तर रही असफलता हमारे संज्ञान में नहीं आयी।
V	अ	हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि ऐसे कोई ठेके या व्यवस्था नहीं है जिसका विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक हो।
	ब	उपर्युक्त प्रस्तर (V) (अ) के परिप्रेक्ष्य में आदेश का प्रस्तर (V) (ब) लागू नहीं है।
VI		हमारे अभिमत में तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कोई सार्वजनिक ऋण एवं जमा स्वीकार नहीं की है।
VII		कम्पनी में चार्टर्ड एकाउन्टेट की फर्मों द्वारा क्षेत्रों में आन्तरिक सम्प्रेक्षण करने की पद्धति है सिवाय मुख्यालय पर। अग्रेतर, पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में क्षेत्रों की जांच परख के लिए अवधि सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि इसे कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप बनाया जा सके। पारेषण (पूर्व) एवं पारेषण (दक्षिण) की इकाइयों की आन्तरिक सम्प्रेक्षा के अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।
VIII		हमारे अभिमत में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत लेखों का रख–रखाव कम्पनी द्वारा सम्प्रेक्षाधीन वर्ष में किया गया है।
IX	अ	हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी अविवादित वैधानिक देयों यथा कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य कोई वैधानिक देयों के उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में सामान्यतः नियमित है। परन्तु यह पाया गया कि भविष्य निधि एवं अंशदान का उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट को भुगतान मासिक जमा की बजाय एक मुश्त आधार पर किया जाता है। अग्रेतर, आयकर की स्रोत पर कटौती तथा व्यापार कर की स्रोत पर कटौती तथा जमा का समुचित अनुपालन पारेषण (पश्चिम) तथा पारेषण (दक्षिण) में नहीं किया गया था।
	ब	जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि ऐसे कोई देय नहीं हैं जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो।
X		संचित हानियों से सम्बंधित आदेश का प्रस्तर (X) लागू नहीं है चूंकि कम्पनी 5 वर्षो से कम अवधि के लिए पंजीकृत है।
XI		हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों अथवा बैंक या ऋणपत्र धारकों के देयों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
XII		कम्पनी में अंश पत्रों, ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों के रेहन द्वारा प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत नहीं किये हैं।
XIII		कम्पनी चिट फण्ड/निधि/पारस्परिक लाभ निधि/समिति नहीं है, अतः आदेश का प्रस्तर (XIII) लागू नहीं है।

XIV		कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों एवं अन्य विनियोगों में व्यापार नहीं करती है अतः आदेश का प्रस्तर (XIV) लागू नहीं है।
XV		जैसा कि हमें सूचित किया गया है कम्पनी ने अन्य पक्षों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों के लिये कोई प्रत्याभूति नहीं दी है।
XVI		हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऋण निधियों का उपयोग उन्ही उद्देश्यों के लिये किया गया जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे क्योंकि लेखे इस प्रकार से नहीं रखे गये हैं जिससे ऋण निधियों के अन्ततः प्रयोग के सम्बन्ध में तत्काल चिन्हीकरण हो सके। परन्तु प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण निधियों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए प्राप्त किये गये थे।
XVII		हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अल्पावधि आधार पर प्राप्त ऋण निधियों का प्रयोग दीर्घावधि के उद्देश्यों के लिये नहीं किया गया है।
XVIII		कम्पनी ने कोई अधिमान अंशपत्रों का आवंटन नहीं किया है अतः आदेश का प्रस्तर (XVIII) लागू नहीं है।
XIX		कम्पनी ने कोई ऋणपत्र निर्गत नहीं किये हैं अतः आदेश का प्रस्तर (XIX) लागू नहीं है।
XX		कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है अतः आदेश का प्रस्तर (XX) लागू नहीं है।
XXI		हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कोई धोखा–धड़ी कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के विरूद्ध नहीं की गयी।

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

आर॰पी॰ तिवारी

साझीदार

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 07–09–2012

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर वैधानिक सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन पर प्रबंधन के उत्तर।

	सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
1.	हमने 31 मार्च, 2009 के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के संलग्न आर्थिक चिट्ठे एवं उनके साथ सलंग्न इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का कम्पनी लाभ एवं हानि खाता एवं रोकड़ प्रवाह विवरण जिसमें चार पारेषण क्षेत्रों के लेखे जिनका सम्प्रेक्षण सम्बन्धित शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा किया गया है समाविष्ट है, का सम्प्रेक्षण किया है। इन विवरणों के लिए कम्पनी प्रबन्धन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	हमने अपना सम्प्रेक्षण भारत वर्ष में सामान्यतः मान्य सम्प्रेक्षण मानकों के अनुसार किया है। यह मानक अपेक्षा करते हैं कि हम अपने सम्प्रेक्षण की कार्य योजना इस प्रकार बनायें व सम्प्रेक्षण का कार्य इस प्रकार करें ताकि हमें उचित रूप से विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से रहित। सम्प्रेक्षण जो परख जांच के आधार पर किया जाता है, में इसका भी समावेश होता है कि वित्तीय विवरणों में इंगित की गयी धनराशियों के समर्थित साक्ष्य एवं प्रकट किये गये तथ्यों की जांच सम्मिलित होती है। ऐसे सम्प्रेक्षण में प्रयोग में लाये गये लेखीय सिद्धान्तों की जांच एवं प्रबन्धन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों की जांच एवं वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण भी सम्मिलित हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया सम्प्रेक्षण हमारे अभिमत का उचित आधार प्रस्तुत करता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी (सम्प्रेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा अपेक्षित है, हम कथित आदेश के प्रस्तर 4 एवं 5 में निर्दिष्ट प्रकरणों पर एक विवरण अनुलग्नक में सलंग्न कर रहे हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
4.	(अ) कोष एवं आधिक्य में वर्ष के अन्त तक पुनर्संरचना खाते के रूप में रु. 180.72 करोड़ का अवशेष सम्मिलित है। यह दिनांक 01.04.2007 को पुस्तकों के अनुसार परिसम्पत्तियों एवं	अन्तिम अन्तरण योजना उ.प्र. शासन के अन्तर्गत प्रक्रिया में है और अन्तरण योजना के निर्गमन के पश्चात आवश्यक समायोजन किये जायेंगे।

		दायित्वों के रख रखाव संकलित अवशेषों तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी राजपत्रिक अधिसूचना सं. 2974 / XXIV–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के माध्यम से अधिसूचित अन्तरण योजना में दर्शाये गये अवशेषों के मध्य अन्तर से सम्बंधित है। कथित अनन्तिम अंतरण योजना का अन्तिमीकरण अभी लम्बित है, जिसके कारण वित्तीय विवरणों में दर्शाये गये परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के अवशेषों की स्थिति परिवर्तित हो सकती है (अनुसूची–21–ब की टिप्पणी सं. 1 का सन्दर्भ लें)	
	(ब)	जैसा कि अनुसूची 21 बी की टिप्पणी संख्या 10 में संदर्भित है असम्प्रेक्षित वास्तविक व्ययों के आधार पर पारेषण प्रभार (अनुसूची–12) का लेखांकन प्रारम्भ में ऊर्जा के चक्रण पर प्रति यूनिट रु. 0.11 पैसे की दर से किया गया था। निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार बाद में इस दर सूची को संशोधित कर इसे रु० 0.1435 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया। (लेखीय नीति संख्या–5 (अ) तथा अतिरिक्त राजस्व को वर्ष के अन्त में मान्यता दी गयी, जिसके लिए अभी बिल निर्गत नहीं किये गये हैं। पारेषण दर सूची, जिसे निदेशक मंडल ने अनुमोदित किया है, यू.पी.ई.आर.सी. के अनुमोदन की शर्ताधीन है।	सम्बन्धित वितरण कम्पनियों को पुनरीक्षित बीजक निर्गत कर दिये गये हैं। कोई टिप्पणी नहीं।
	(स)	जैसा कि अनुसूची–21 ब की टिप्पणी सं. 8 (अ) में सन्दर्भित है, चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम, असंरक्षित ऋण, चालू दायित्वों (डिस्काम आदि के अवशेषों को सम्मिलित करते हुए) भन्डार सामग्री पारगमन में / निरीक्षण के अन्तर्गत / ठेकेदारों / निर्माणकर्ताओं के पास आदि पुष्टिकरण, समाशोधन एवं परिणामी समायोजन की शर्त्ताधीन है, यदि कोई हो। पर्याप्त सूचना के अभाव में हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि यह अवशेष वसूली योग्य हैं या नहीं है तथा अनुसूची 21 ब की टिप्पणी संख्या 3 (अ) (ब) तथा (स) के अनुसार इनके लिए जो प्राविधान किये गये हैं वह पर्याप्त हैं अथवा नहीं।	अवशेष समाधान के अन्तर्गत हैं। आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
	(द)	चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिमों में अन्तर इकाई हस्तातन्रण के रूप में रु. 14.33 करोड़ सम्मिलित है जो कि अन्तर इकाई लेन देनों के असमाधानित अवशेषों को प्रदर्शित करती है। जैसा कि	अन्तर इकाई अवशेषों का समाधान एक निरन्तर प्रक्रिया है और मेल न खाती हुयी पृविष्टियों के प्रभाव का लेखांकन आगामी वर्षों में किया जायेगा।

		प्रबन्धन द्वारा सूचित किया गया है अन्तर इकाई खातों का समाधान प्रक्रियाधीन है।	
	(य)	सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्यमों को देय बकाया जैसा कि एम.एस.एम. इ.डी. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत परिभाषित है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग–1 के अनुसार प्रकट नहीं किया गया तथा कम्पनी के पास पर्याप्त सूचना के अभाव में इन अवशेषों पर देय ब्याज के वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गयी। (अनुसूची –21 ब की टिप्पणी संख्या 9 का सन्दर्भ लें)।	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत) को देय धनराशि को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका और सम्बन्धित पर्याप्त सूचना के अभाव में उस पर ब्याज प्राविधानित नहीं किया जा सका। यद्यपि कम्पनी इस सम्बन्ध में पूर्ण सूचना प्राप्ति करने की प्रक्रिया में है।
	(र)	रोकड़ एवं बैंक अवशेषों (अनुसूची–8) में बैंक में सावधि जमा की धनराशि रु. 80000/– सम्मिलित है, जिसका विवरण कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है एवं जिसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया। जैसा कि प्रबन्धन द्वारा सूचित किया गया है कि इस खोयी हुयी सावधि जमा रसीद की जांच पड़ताल प्रक्रियाधीन है।	बैंक में सावधि जमा धनराशि रु. 80,000.00 का प्रकरण जांच के अन्तर्गत है। जांच के पश्चात प्राविधान/समायोजन जैसा आवश्यक हुआ आगामी वर्ष में सुनिश्चित किये जायेंगे।
	(ल)	यह पाया गया कि पक्षवार सहायक लेजरों के रख–रखाव की पद्धति तथा प्राथमिक लेखा पुस्तकों के साथ इनके मिलान की प्रक्रिया प्रभावी नहीं है।	प्राथमिक लेखा पुस्तकों से विधिवत मिलान करते हुए पक्षवार सहायक लेजरों के रख–रखाव करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
	(व)	अनुसूची–21 ब की टिप्पणी सं.–22 (अ) तथा 22(ब) में इंगित आकस्मिक दायित्वों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा जैसा बताया गया उसपर हमारे द्वारा विश्वास कर लिया गया।	कोई टिप्पणी नहीं।
5.	(अ)	जैसा कि लेखीय मानक 2 में आवश्यक है भण्डार सामग्री का मूल्यांकन लागत पर किया गया है न कि लागत से कम मूल्य पर या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर। (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति सं.–4 का संदर्भ लें।	कारपोरेशन केवल स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए भण्डार सामग्री का रख–रखाव कर रहा है। कारपोरेशन के पास कोई तैयार माल, यथा विद्युत की भण्डार सामग्री नहीं है। अतः भण्डार सामग्री का मूल्यांकन लेखीय मानक–2 के प्राविधान का उल्लंघन नहीं करता।
	(ब)	पूर्ण हुई परियोजनाओं पर प्रगतिशील पूंजीगत कार्यों पर हुए व्यय को स्थानान्तरित करके पूंजीकृत कर लिया गया है। परियोजना की लागत को सम्बंधित अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया जाता है। कार्यकारी इकाइयों की बाहुल्यता के कारण एवं साथ ही साथ इकाई विशेष पर कार्यो की विविधता के कारण कर्मचारी लागत एवं सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों को पूँजीगत कार्यों पर हुए कुल व्यय के आधाार पर पूंजीकृत किया जाता है। (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति 2 (ई) का सन्दर्भ लें)	जैसा कि महत्वपूर्ण लेखीय नीतियों के बिन्दु सं. 2 (य) पर वर्णित है कि कार्य करने वाली इकाइयों की विविधता साथ ही साथ इकाई विशेष पर कार्यों की विविधता के कारण कर्मचारी लागत एवं प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों का पूँजीकरण उचित विचारित दरों पर पूँजीगत कार्यों को आबंटित किया जाता है।

		अप्रत्यक्ष व्ययों को पूँजीगत करने की पद्धति लेखीय मानक–10 ''स्थायी परिसम्पत्तियों'' का लेखांकन में दिये गये प्रतिपादन के अनुसार नहीं है।	
	(स)	लेखों पर टिप्पणी की अनुसूची–21 ब की टिप्पणी सं. 15 (अ) 15 (ब) के अन्तर्गत कम्पनी ने कर्मचारी लाभों की मान्यता दी है। प्रकटन किया है, जो लेखीय मानक–15 कर्मचारी लाभ (संशोधित 2005) के अनुरूप नहीं है।	पेन्शन एव ग्रेच्युटी के लिये प्राविधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है जैसा कि लेखों पर टिप्पणियों में प्रकटित है। मैसर्स जीवन बीमा निगम को बीमांकित मूल्यांकन का कार्य सुपुर्द किया गया है। जैसे ही कथित बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होती है और कारपोरेशन द्वारा अंगीकृत की जाती है प्रकटन की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
	(द)	स्थाई परिसम्पत्तियों पर उधारी लागत को सम्पत्ति के प्रतिस्थापन की वास्तविक तिथि या सम्पत्ति को क्रय करने की तिथि को संज्ञान में लिये बिना वर्ष के आरम्भ में प्रगतिशील कार्यों पर पूँजीकृत है। (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति संख्या–2 (र) का सन्दर्भ लें)। अग्रेतर, कुछ सम्पत्तियों जो अर्हक सम्पत्ति न हों, पर भी ब्याज पूँजीकृत किया जाता है क्योंकि इनके तैयार होने में बहुत अधिक समय नहीं लगता। हमारे अभिमत में स्थायी परिसम्पत्तियों पर उधारी लागत को पूँजीगत करने की विधि लेखीय मानक–16 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप नहीं है।	लेखीय मानक–16 की प्रस्तावना के अनुसार यह वर्णित है कि अर्हता प्राप्त सम्पत्ति के अर्जन, निर्माण अथवा उत्पादन को आरोप्य प्रत्यक्ष उधारी लागत की धनराशि जो भी हो, का निर्धारण कठिन है। ऐसे प्रकरण में निर्णय के प्रयोग की आवश्यकता होती है और परिसम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों की श्रेणी जिन पर उधारी धनराशि विनियोजित है को चिन्हित करना कठिन है जिसकी उधारी लागत को विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखा) नियम 1985 के प्राविधानों के अनुरूप निगम ने पूँजीकृत किया है।
	(य)	अनुसूची–21 ब की टिप्पणी संख्या 19 के सन्दर्भ में अपूर्ण सूचना होने के कारण हम लेखीय मानक–22 ''आय पर टैक्स का लेखांकन'' के अनुसार आस्थगित कर के लेखांकन पर पर्याप्तता या अन्यथा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	आस्थगित कर सम्पत्तियों के लेखांकन पर विवेक के आधार पर लेखों में विचार नहीं किया गया क्योकि निकट भविष्य में कम्पनी रु. 1001.21 करोड़ की आमेलन न हुयी संचयी हानियों के कारण आय की उपलब्धता के सम्बन्ध में निश्चित नहीं है।
	(र)	परिसम्पत्तियों के क्षरण के सम्बन्ध में प्रबन्धन का मत सम्बन्धित सूचना द्वारा समर्थित नहीं है, अतः हम अनुसूची–21 ब की टिप्पणी संख्या–20 के अनुसार लेखीय मानक (ले.मा.) 28 के प्राविधान के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	जहां तक परिसम्पत्तियों के क्षरण का प्रश्न है आई.सी.ए.आई. के लेखीय मानक–28 द्वारा जैसा विचारित है आर्थिक चिट्ठा की तिथि को किसी परिसम्पत्ति के क्षरण की कोई विशेष सूचना नहीं है। अग्रेतर उल्लेखनीय है कि निगम की परिसम्पत्तियाँ उनकी ऐतिहासिक लागत पर लेखांकित है और उनमें से अधिकांश बहुत पुरानी हैं जहां परिसम्पत्तियों का क्षरण बहुत ही असम्भाव्य है।
	(ल)	कम्पनी ने लेखीय मानक–29 के अनुसार प्राविधान की प्रत्येक श्रेणी का प्रकटन यथा प्राविधानों, आकस्मिक परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों यथा किये गये अतिरिक्त प्राविधान, प्रयोग की गयी धनराशि एवं वर्ष के दौरान विलोमित अप्रयोज्य धनराशि आदि के प्रस्तर–66 की प्रकटन की आवश्यकतानुसार अनुपालन नहीं किया है।	प्रबन्धन ने सम्प्रेक्षकों की टिप्पणियों को संज्ञान में लिया है एवं भविष्य में तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6.	पूर्ण सूचना के अभाव में इस रिपोर्ट के संलग्नक के प्रस्तर 4 एवं 5 में हमारे द्वारा की गयी आपत्तियों का कम्पनी के लेखों पर संचयी प्रभाव अभिनिश्चित नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
7.	पूर्व वर्षो की भांति प्रबन्धन द्वारा कम्पनी के अन्तिम खाते, शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की शखाओं से प्राप्त तलपटों के आधार पर संकलित किये गये हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
8.	हमारे अभिमत में हमारी सम्प्रेक्षा के लिए उचित एवं पर्याप्त नियत विवरण उन शाखाओं से प्राप्त हो गये हैं जिनका निरीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया। शाखा सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रसारित की गयी और उन पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से विचार किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं।
9.	कम्पनी क्रिया–कलापों के विभाग के परिपत्र सं. 8/2002 के सन्दर्भ में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के प्राविधान कम्पनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
10.	उपर्युक्त प्रस्तर 4 एवं 7 में दी गयी हमारी आपत्तियों एवं प्रस्तर 3 में सन्दर्भित अनुलग्नक में दी गयी टिप्पणियों की शर्ताधीन हम सूचित करते है कि :–	कोई टिप्पणी नहीं।
	(अ) हमने अपने सम्प्रेक्षण के उद्देश्य से सिवाय उनके जो ऊपर इंगित है सभी आवश्यक सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं, जो कि हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(ब) हमारे अभिमत में कम्पनी ने विधिसम्मत सभी उचित लेखा पुस्तकों का रख–रखाव किया है जैसा कि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के परीक्षण से स्पष्ट होता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(स) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित आर्थिक चिट्ठा, लाभ एवं हानि खाता, रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों तथा क्षेत्रों से प्राप्त सम्प्रेक्षित विवरणों से मेल खाते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(द) हमारे अभिमत में इस रिपोर्ट द्वारा विचारित आर्थिक चिट्ठा लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में संदर्भित लेखीय मानक का अनुपालन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।

	(य) हमारे अभिमत में तथा पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित लेखे सपठित लेखीय नीतियां एवं अनुसूची–21 में सन्दर्भित टिप्पणियां कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखीय सिद्धान्तों की अनुरूपता में यथार्थ एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं : –	कोई टिप्पणी नहीं।
	(अ) आर्थिक चिट्ठे के मामले में दिनांक 31.03.2009 को कम्पनी के क्रिया–कलापों की स्थिति :– (ब) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के मामले में हानि की स्थिति एवं। (स) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में रोकड़ प्रवाह की स्थिति।	कोई टिप्पणी नहीं।

ए.के. गुप्ता
महाप्रबन्धक (लेखा)

एस.के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष की वैधानिक सम्प्रेक्षक की रिपोर्ट के संलग्नक पर प्रबन्धन के उत्तर

वैधानिक सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक			प्रबन्धन का उत्तर
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यो को दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में सन्दर्भित अनुलग्नक ऐसे परीक्षण के आधार पर जैसा कि हमने लागू करना उचित समझा मुख्यालय के सम्प्रेक्षण के दौरान प्रबन्धन द्वारा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित चार पारेषण क्षेत्रों की सम्प्रेक्षक रिपोर्ट के आधार पर हम निम्नवत सूचित करते हैं:–			
I	अ	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं उनकी अवस्थिति सम्बधी पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।	समस्त इकाइयों में स्थायी परिसम्पत्तियों के रजिस्टर के रख–रखाव करने एवं अद्यतन रखने के सम्बन्ध में सम्बंधित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
	ब	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है, अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऐसी किसी सामग्री में कोई महत्वपूर्ण विसंगति थी या नहीं।	स्थायी परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बंधित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
	स	हमारे अभिमत में कम्पनी ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निस्तारण नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
II	अ	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा भण्डार की भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे अभिमत में भण्डार की प्रकृति एवं अवस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	ब	प्रबन्धन द्वारा अपनायी गयी भण्डार सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया उचित है तथा कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के सन्दर्भ में पर्याप्त है, सिवाय पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद के जहां इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।	सम्बंधित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।
	स	हमारे अभिमत में कम्पनी भण्डार सामग्री के उचित अभिलेखों का रख–रखाव कर रही है, सिवाय पारेषण (पूर्व) क्षेत्र जहां कुछ	सम्बंधित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

		खन्डों में भण्डार सामग्री के अभिलेख अपूर्ण पायें गये। जहां कहीं भौतिक सत्यापन में महत्वपूर्ण विसंगतियां इंगित की गयी हैं उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित रूप से कार्यान्यवित किया गया है।	
III	अ	जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कम्पनी ने किसी कम्पनी, फर्म या अन्य पक्षों को जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित हैं को कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित स्वीकृत नहीं किये हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
	ब	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (अ) के परिपेक्ष्य में आदेश के प्रस्तर सं. (III) (बी) (सी) एवं डी लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	स	कम्पनी ने कम्पनी, फर्मों या अन्य पक्षों से जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित हैं से कोई ऋण सरंक्षित या असंरक्षित नहीं लिया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	द	उपर्युक्त प्रस्तर (III) सं. के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी (सम्प्रेक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के प्रस्तर (III) (एफ) एवं (जी) लागू नहीं हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
IV		हमारे अभिमत में एवं हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण पद्धति है जो कम्पनी के आकार एवं भण्डार एवं स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय तथा सेवाओं की बिक्री के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है सिवाय अपवाद स्वरूप निम्न को छोड़कर :– (1) पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में उप–ठेकादारों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये विशेष निक्षेप कार्यों एवं अन्य कार्यो से सम्बन्धित व्यय का लेखांकन। (2) पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में भण्डार सामग्री के निरीक्षण/ सत्यापन, अग्रिमों एवं सामग्री की प्राप्ति का समायोजन। उपर्युक्त की शर्ताधीन आन्तरिक नियंत्रण में मुख्य कमियों के निवारण हेतु निरन्तर रही असफलता हमारे संज्ञान में नहीं आयी।	सम्बंधित क्षेत्र को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। कोई टिप्पणी नहीं।
V	अ	हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि ऐसे कोई ठेके या व्यवस्था नहीं हैं, जिनका विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक हो।	कोई टिप्पणी नहीं।

	ब	उपर्युक्त (V) (अ) के परिप्रेक्ष्य में आदेश का प्रस्तर (V) (ब) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
VI		हमारे अभिमत में तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कोई सार्वजनिक ऋण एवं जमा स्वीकार नही की है।	कोई टिप्पणी नहीं।
VII		कम्पनी में चार्टर्ड एकाउन्टेट की फर्मो द्वारा क्षेत्रों में आन्तरिक सम्प्रेक्षण करने की पद्धति है, सिवाय मुख्यालय पर। अग्रेतर, पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में क्षेत्रों की जांच परख के लिए अवधि सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इसे कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप बनाया जा सके। पारेषण (पूर्व) एवं पारेषण (दक्षिण) की इकाइयों की आन्तरिक सम्प्रेक्षा के अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।	प्रबन्धन ने सम्प्रेक्षकों की टिप्पणियों को संज्ञान में लिया है और यथा समय आवश्यक कार्यवाही की जायगी।
VIII		हमारे अभिमत में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत लेखों का रख–रखाव कम्पनी द्वारा सम्प्रेक्षाधीन वर्ष में किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
IX	अ	हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी अविवादित वैधानिक देयों यथा कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य कोई वैधानिक देयों के उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने के सामान्यत : नियमित है। परन्तु यह पाया गया कि भविष्य निधि एवं अंशदान का उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट को भुगतान मासिक जमा की बजाय एक मुश्त आधार पर किया जाता है। अग्रेतर, आयकर की स्रोत पर कटौती तथा व्यापार कर की स्रोत पर कटौती तथा जमा का समुचित अनुपालन पारेषण (पश्चिम) तथा पारेषण (दक्षिण) में नहीं किया गया था।	उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट को भविष्य निधि अंशदान का भुगतान मार्च, 2010 से मासिक जमा के आधार पर किया जा रहा है। सम्बन्धित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
	ब	जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि ऐसे कोई देय नहीं हैं जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो।	कोई टिप्पणी नहीं।
X		संचित हानियों से सम्बंधित आदेश का प्रस्तर (X) लागू नहीं है चूंकि कम्पनी 5 वर्षो से कम अवधि के लिए पंजीकृत है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XI		हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों अथवा बैंक या ऋणपत्र धारकों के देयों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।	कोई टिप्पणी नहीं।

XII	कम्पनी में अंशपत्रों, ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों के रेहन द्वारा प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत नहीं किये हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
XIII	कम्पनी चिट फण्ड/निधि/पारस्परिक लाभ निधि/समिति नहीं है, अतः आदेश का प्रस्तर (XIII) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XIV	कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों एवं अन्य विनियोगों में व्यापार नहीं करती है अतः आदेश का प्रस्तर (XIV) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XV	जैसा कि हमें सूचित किया गया है कम्पनी ने अन्य पक्षों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों के लिये कोई प्रत्याभूति नहीं दी है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XVI	हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऋण निधियों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिये किया गया जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे, क्योंकि लेखे इस प्रकार से नहीं रखे गये हैं, जिससे ऋण निधियों के अन्ततः प्रयोग के सम्बन्ध में तत्काल चिन्हीकरण हो सके। परन्तु प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण निधियों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया जिनके लिए प्राप्त किये गये थे।	ऋण निधियाँ उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग की गई, जिनके लिए प्राप्त की गयी थीं।
XVII	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अल्पावधि आधार पर प्राप्त ऋण निधियों का प्रयोग दीर्घावधि के उद्देश्यों के लिये नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XVIII	कम्पनी ने कोई अधिमान अंशपत्रों का आवंटन नहीं किया है अतः आदेश का प्रस्तर (XVIII) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XIX	कम्पनी ने कोई ऋणपत्र निर्गत नहीं किये हैं अतः आदेश का प्रस्तर (XIX) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XX	कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है अतः आदेश का प्रस्तर (XX) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XXI	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कोई धोखा–धड़ी कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के विरुद्ध नहीं की गयी।	कोई टिप्पणी नहीं।

ए.के. गुप्ता
महाप्रबन्धक (लेखा)

एस.के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उत्तर प्रदेश
छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर 'एच' अलीगंज, लखनऊ–226 024

स्पीड पोस्ट/गोपनीय

पत्रांक म.ले. (इ. एण्ड आर.एस.ए.)/इ.एस.–II/लेखा/यू.पी.पा.ट्रां.का.लि./2008-09/269 दिनांकः 07.12.2013

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)

महोदय,

एतत्सह कम्पनी, अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टीका–टिप्पणियां कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(5) के निबन्धनों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही हैं। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका–टिप्पणियों के प्रस्तुत किये जाने की वास्तविक तिथि की सूचना दें।

सम्प्रेक्षी द्वारा प्रस्तुत एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है। सम्प्रेक्षी के स्तर पर किसी गलत सूचना तथा/या सूचना न देने के लिए कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षण) उत्तर प्रदेश किसी दायित्व का दावा अस्वीकार करता है।

कृपया पत्र की पावती भेजने का कष्ट करें।

भवदीया,

सहपत्र– यथोपरि।

डॉ0 स्मिता एस0 चौधरी

महालेखाकार

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित कार्य ढांचे की वित्तीय सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तर दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227, उनकी व्यवसायिक संस्था दि इन्स्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण एवं विश्वास मानकों के अनुरूप स्वतंत्र सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 07 सितम्बर, 2012 के माध्यम से ऐसा किया गया इंगित है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों का पूरक सम्प्रेक्षण किया। यह पूरक सम्प्रेक्षण, वैधानिक सम्प्रेक्षकों के कागजी ब्यौरों को ध्यान मे न रख कर स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा मुख्य रूप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से की गयी पूछ–ताछ एवं कुछ लेखीय अभिलेखों की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित है। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत, मैं निम्नवत महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगी, जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।

<u>लाभ एवं हानि खाता</u>

<u>व्यय</u>

कर्मचारी लागत (अनुसूची–15) रु. 256.10 करोड़

<u>पेन्शन एवं ग्रेच्युटी–रु. 37.21 करोड़</u>

महत्वपूर्ण लेखीय नीति सं. 6 (अ) का सन्दर्भ आमन्त्रित किया जाता है जो अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ इंगित करता है कि पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के दायित्व का निर्धारण बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया गया है और प्रोद्भूत आधार पर लेखांकित किया गया है।

पेंन्शन एवं ग्रेच्युटी के सापेक्ष दायित्वों के प्राविधान का सृजन क्रमशः 16.70 प्रतिशत एवं 2.38 प्रतिशत की दर से दिनांक 9 नवम्बर, 2000 की मेसर्स प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द्वारा उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. को दी गई बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है जो 3 वर्ष के लिये वैध थी। इसके पश्चात बीमांकित मूल्यांकन नहीं कराया गया। इस प्रकार प्राविधान न केवल लेखीय नीति सं. 6 (अ) का उल्लंघन है बल्कि सेवा नैवृत्तिक लाभों के सम्बन्ध में लेखीय मानक–15 का भी अतिक्रमण है, जो प्रावधानित करता है कि प्राविधान प्रोद्भूत आधार पर किये जाने चाहिए।

महालेखाकार

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

क्र.सं.	टिप्पणियाँ	प्रबन्धन के उत्तर
	कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित कार्य ढांचे की वित्तीय सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तर दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227, उनकी व्यवसायिक संस्था दि इन्स्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण एवं विश्वास मानकों के अनुरूप स्वतंत्र सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 07 सितम्बर, 2012 के माध्यम से ऐसा किया गया इंगित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अन्तर्गत, 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों का पूरक सम्प्रेक्षण किया। यह पूरक सम्प्रेक्षण, वैधानिक सम्प्रेक्षकों के कागजी ब्यौरों को ध्यान मे न रख कर स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा मुख्य रूप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से की गयी पूछ–ताछ एवं कुछ लेखीय अभिलेखों की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित है। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत, मैं निम्नवत महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगी, जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।	कोई टिप्पणी नहीं।

	लाभ एवं हानि खाता **व्यय** **कर्मचारी लागत (अनुसूची–15) रु. 256.10 करोड़** **पेन्शन एवं ग्रेच्युटी–रु. 37.21 करोड़** महत्वपूर्ण लेखीय नीति सं. 6 (अ) का सन्दर्भ आमन्त्रित किया जाता है जो अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ इंगित करता है कि पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के दायित्व का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया गया है और प्रोद्भूत आधार पर लेखांकित किया गया है। पेंन्शन एवं ग्रेच्युटी के सापेक्ष दायित्वों के प्राविधान का सृजन क्रमशः 16.70 प्रतिशत एवं 2.38 प्रतिशत की दर से दिनांक 9 नवम्बर, 2000 की मेसर्स प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द्वारा उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. को दी गई बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, जो 3 वर्ष के लिये वैध थी। इसके पश्चात बीमांकित मूल्यांकन नहीं कराया गया। इस प्रकार का प्राविधान न केवल लेखीय नीति सं. 6 (अ) का उल्लंघन है बल्कि सेवा नैवृत्तिक लाभों के सम्बन्ध में लेखीय मानक–15 का भी अतिक्रमण है, जो प्राविधानित करता है कि प्राविधान प्रोद्भूत आधार पर किये जाने चाहिए।	पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के दायित्वों के सापेक्ष प्राविधान की दर क्रमशः 16.70 प्रतिशत एवं 2.38 प्रतिशत वर्ष 2000 में मेसर्स प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द्वारा किये गये बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित हैं। ये दरें पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के सापेक्ष भविष्य के दायित्वों के आवरण के लिये अभी भी वैध हैं, क्योंकि ये वास्तविक मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता से सम्बद्ध हैं। जैसे ही मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता परिवर्तित होता है अंशदान भी तदनुसार परिवर्तित होता है। यह उल्लेख करना है कि इन दरों पर पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के सापेक्ष किये गये प्राविधान पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के दायित्व के आवरण हेतु पर्याप्त हैं। लेखीय मानक केवल पर्याप्त प्रावधानों की अपेक्षा करते हैं जो कि कारपोरेशन द्वारा किये गये हैं। फिर भी यह सूचित करना है कि बीमांकित मूल्यांकन का कार्य मेसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम को सौपा गया है और नवीन बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

ए.के. गुप्ता
महाप्रबन्धक (लेखा)

एस.के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)